




सोलहवाँ वित्त आयोग



2026-31 के लिए रिपोर्ट
खंड I - मुख्य रिपोर्ट

10.1 अनुच्छेद 280(3)(खख) और 280(3)(ग) के अनुसरण में, वर्तमान वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) उसे 'राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक सहायता देने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा' करने के लिए निर्देशित करते हैं ।

10.2 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (आरएलबी और यूएलबी) के संसाधनों के विस्तार हेतु उपायों के प्रावधान, संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के परिणामस्वरूप 1993 में लागू किए गए। ये दोनों संशोधन क्रमशः आरएलबी और यूएलबी को अधिकार और वित्त के अंतरण हेतु एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये संशोधन उन कार्यों और वित्तीय शक्तियों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें राज्य विधान मंडल पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंप सकते हैं। इन दो संशोधनों में नियमित स्थानीय निकाय चुनावों के प्रावधान भी शामिल हैं। तथापि संवैधानिक संशोधनों में परिकल्पित, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को शासन और वित्तीय शक्तियों का पूर्णतया हस्तांतरण करने का कार्य अभी भी जारी है।

10.3 पूर्व के वित्त आयोगों ने राज्यों के संसाधनों को 'बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों' की व्याख्या भारत की संचित निधि से सहायता अनुदानों की सिफारिशों और स्थानीय निकायों के अपने वित्तीय संसाधनों की मात्रा बढ़ाने के सुझावों के रूप में की है। चूंकि स्थानीय निकाय संविधान की राज्य सूची में आते हैं इसलिए संघ से प्राप्त अनुदानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की सिफारिशों पर राज्यों द्वारा हस्तांतरित संसाधनों का पूरक बनें, न कि उनका स्थान लें।

10.4 राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों में अपनाए गए दृष्टिकोण, शामिल अवधि और आंकड़ों व विश्लेषणों की गुणवत्ता में एकरूपता का अभाव रहा है। विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की नियुक्तियों की समायावधि में भी काफी अंतर रहा है। परिणामस्वरूप पिछले वित्त आयोग,

राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों को अपनी सिफारिशों का आधार बनाने में असमर्थ रहे हैं। इस आयोग ने भी इन कठिनाइयों का सामना किया है और एसएफसी की रिपोर्टों को अपनी सिफारिशों का आधार बनाने में असमर्थ रहा है।

पिछले वित्त आयोग : एक समीक्षा

10.5 संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के परिणामस्वरूप, 10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण आबादी के लिए प्रतिव्यक्ति ₹100 और नगरपालिकाओं को ₹1000 करोड़ का तदर्थ अनुदान प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया। 11वें वित्त आयोग (2000-05) ने अपनी पांच वर्ष की अनुशंसा अवधि हेतु पंचायतों को ₹8,000 करोड़ और नगरपालिकाओं के लिए ₹2,000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया। 12वें वित्त आयोग (2005-10) ने कुल ₹25000 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की जिसको पंचायतों और यूएलबी के बीच 80:20 के अनुपात में विभक्त किया गया। 13वें वित्त आयोग (2010-15) ने महसूस किया कि स्थानीय निकायों को भी संघीय करों के उछाल से लाभ होना चाहिए और यह सिफारिश दी कि स्थानीय निकायों को करों के विभाज्य पूल का एक निश्चित प्रतिशत (राज्यों को मिलने वाले भाग के अलावा) अनुदान सहायता में परिवर्तित करने के उपरांत हस्तांतरित किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों हेतु अनुदान 2010-15 के लिए विभाज्य पूल के 1.93 प्रतिशत के समान था। अनुदानों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी के आधार पर 26.82 प्रतिशत शहरी भाग और 73.18 प्रतिशत ग्रामीण हिस्से में विभक्त किया गया था। 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015-20) ने अपनी अनुशंसा अवधि के लिए ₹2,87,436 करोड़ अनुदान राशि की सिफारिश की। सिफारिश की गयी अनुदान पंचायतों के लिए ₹2,00,292 करोड़ और नगरपालिकाओं के लिए ₹87,143 करोड़ थी।


10.6 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 को कवर करने वाली अपनी द्वितीय रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹4,36,361 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान किया। कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में 15वें वित्त आयोग ने प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्थानीय निकायों को विशेष रूप से ₹70,051 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त नए शहरों के उदभव के लिए ₹8,000 करोड़ और साझा नगरपालिका सेवाओं हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान किया। ₹3,57,860 करोड़ की शेष राशि को, आरएलबी हेतु ₹2,36,805 करोड़ और यूएलबी हेतु ₹1,21,055 करोड़ में विभाजित किया गया था।

10.7 यूएलबी अनुदानों को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के रूप में बांटा गया था। विभाज्य पूल के निश्चित प्रतिशत के रूप में 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹4,36,361 करोड़ का कुल अनुदान 3.2 प्रतिशत था। स्वास्थ्य और नए शहरों का उदभव जैसे विशेष अनुदानों को छोड़कर आरएलबी और यूएलबी के लिए ₹3,57,860 करोड़ का अनुदान विभाज्य पूल का 2.6 प्रतिशत था।

10.8 स्थानीय निकायों के लिए आवंटित निधियों के परिमाण में लगातार वृद्धि हुई है जो 10वें वित्त आयोग में विभाज्य पूल के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 15वें वित्त आयोग में 3.2 प्रतिशत हो गयी। पूर्व के वित्त आयोगों ने शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात को देखते हुए कुल स्थानीय

निकाय अनुदान में शहरी हिस्सेदारी में वृद्धि करने की भी सिफारिश की है। यह 11वें वित्त आयोग के तहत प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत से बढ़कर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के अंतिम वर्ष, 2025-26 में 35 प्रतिशत तक हो गया।

10.9 चित्र 10.1 पिछले वित्त आयोगों की अनुशंसा अवधि के दौरान विभाज्य पूल के प्रतिशत और स्थानीय निकाय अनुदान (रुपये में) को दर्शाता है इसके साथ ही तालिका 10.1 वास्तविक निर्मुक्ति को दर्शाती है।



तालिका 10.1 पिछले वित्त आयोगों के द्वारा सिफारिश की गई अनुदान बनाम वास्तविक निर्मुक्ति (₹ करोड़)

वित्त आयोग	आरएलबी			यूएलबी		
	संस्तुति	निर्मुक्ति	निर्मुक्ति (प्रतिशत में)	संस्तुति	निर्मुक्ति	निर्मुक्ति (प्रतिशत में)
10वां	4,381	3,576	81.6	1,000	834	83.4
11वां	8,000	6,602	82.5	2,000	1,752	87.6
12वां	20,000	18,927	94.6	5,000	4,470	89.4
13वां	64,408	58,257	90.5	23,111	18,980	82.1
14वां	2,00,292	1,79,491	89.6	87,144	74,259	85.2
15वां	2,36,805	1,75,182	74.0	1,21,055	75,718	62.6

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और 15वें वित्त आयोग की अवधि (जुलाई 2025 तक) के लिए व्यय विभाग से प्राप्त डेटा

स्थानीय निकाय अनुदान के क्षेत्रीय वितरण के लिए मापदंड

10.10 स्थानीय निकायों को अनुदान देने की शुरुआत से ही, सभी पाचों वित्त आयोगों ने जनसंख्या और क्षेत्रफल का उपयोग अंतर्वितरण की गणना के लिए समान रूप से किया है लेकिन प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद अंतर, अभाव सूचकांक, विकेंद्रीकरण सूचकांक और राजस्व प्रयास जैसे मापदंडों के उपयोग में उनमें भिन्नता रही। तालिका 10.2 विभिन्न आयोगों द्वारा उपयोग किए गए भिन्न मापदंडों का विवरण प्रस्तुत करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले दो वित्त आयोगों ने केवल जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर रहने का चयन किया है।

तालिका 10.2 वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान के वितरण के लिए मापदंड और भार (प्रतिशत)

मानदंड	10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	13वां वित्त आयोग		14वां वित्त आयोग	15वां वित्त आयोग
				आरएलबी	यूएलबी		
आबादी	100	40	40	50		90	90
जनगणना	1971	1971	2001	2001		2011	2011
भौगोलिक क्षेत्र	-	10	10	10		10	10
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतराल	-	20	20	10	20	-	-
विकेंद्रीकरण/हस्तांतरण का सूचकांक	-	20	-	15		-	-
अभाव का सूचकांक	-	-	10	-		-	-
राजस्व प्रयास	-	10	20	-		-	-
जनसंख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात	-	-	-	10	-	-	-
वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक	-	-	-	5		-	-

अनुदान से जुड़ी शर्तें और सुधार

10.11 वित्त आयोगों ने लेखांकन, पारदर्शिता और मुख्य कार्यों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्त आयोग अनुदानों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से जारी करने, कुछ कार्यनिष्पादन आवश्यकताओं से और/ या विशेष उपयोग से जोड़ा है। 10वें वित्त आयोग ने राज्यों को योजनाएं डिजाइन करने और अनुदानों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी, स्थानीय निकायों को समान अनुपात में मेचिंग अंशदान देने की आवश्यकता बताई और वेतन पर अनुदान के उपयोग पर रोक लगाई। 11वें वित्त आयोग ने ऑडिट और वित्तीय डेटाबेस को प्राथमिकता दी और वेतन पर प्रतिबंध को बनाए रखते हुए सिफारिश दी कि अनुदान राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के लिए आवंटित किया जाए। 12वें वित्त आयोग ने जल और स्वच्छता सेवा में सुधार और वित्तीय प्रणालियों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। इसने शहरी अनुदान राशि के 50 प्रतिशत भाग को अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, पृथक्करण और परिवहन से जोड़ दिया।

10.12 13वें वित्त आयोग ने निष्पादन आधारित अनुदान की शुरुआत की, जिसमें राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत अनुपूरक बजट प्रस्तुत करें, लेखापरीक्षण प्रणाली को लागू करें, लोकपालों की नियुक्ति करें, पांच से दस दिनों के भीतर निधि का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सुनिश्चित करें, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता पर कानून बनाएँ और स्थानीय निकायों को संपत्ति कर एकत्र करने हेतु सशक्त करें। 14वें वित्त आयोग ने आरएलबी के लिए मूल और निष्पादन अनुदानों के बीच 90:10 और यूएलबी के लिए 80:20 के अनुपात का प्रस्ताव रखा और निष्पादन को स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व में सुधार और ऑडिट लेखा प्रस्तुतियों पर आधारित बनाया।

10.13 15वें वित्त आयोग ने 60 प्रतिशत अनुदानों को आबद्ध (टाइड ग्रांट) के रूप में और 40 प्रतिशत को अनाबद्ध (अनटाइड ग्रांट) के रूप में आवंटित किया है। आबद्ध अनुदान को आगे दो बराबर भागों में (प्रत्येक 30 प्रतिशत) (i) पेयजल और वर्षा जल संचयन तथा (ii) स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान, के मध्य विभाजित किया गया।

लेखा और लेखापरीक्षा के लिए शर्तें

10.14 पूर्व के वित्त आयोगों ने स्थानीय निकाय वित्तीय प्रबंधन में सुधार, विशेष रूप से स्थानीय निकाय के लेखें तैयार करना, उनकी उपलब्धता, स्थानीय निकाय लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में इसे एक महत्वपूर्ण सुधार एजेंडा मानकर सिफारिशें दी हैं। 11वें वित्त आयोग ने यह सुझाव

दिया कि स्थानीय निकाय लेखों के रखरखाव और लेखा परीक्षा की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को दी जाए तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा राज्य विधानसभाओं की समर्पित समितियों द्वारा की जाए। 12वें वित्त आयोग ने सीएजी द्वारा निर्धारित प्रारूपों में अलग-अलग वित्तीय आंकड़ों की आवश्यकता पर बल दिया और एक कुशल लेखा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों और डेटाबेस अपनाने पर बल दिया। 13वें वित्त आयोग ने सीएजी द्वारा स्थानीय निधि लेखा विभागों (एलएफएडी) के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण को जारी रखने का प्रस्ताव दिया और एलएफएडी को मजबूती देने हेतु उपाय भी सुझाए। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय लेखों में विभिन्न राजस्व स्रोतों जैसे स्वयं के राजस्व, निर्धारित कर, राज्य अनुदान, वित्त आयोग के अंतरण और एजेंसी के कार्यों के लिए निधि को स्पष्ट रूप से अलग रखने के महत्व पर बल दिया। 14वें वित्त आयोग ने सीएजी की तकनीकी भूमिका को जारी रखने का समर्थन किया और लेखों की समयबद्ध लेखा परीक्षा करने और लेखे तैयार करने का आग्रह किया। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायतों और यूएलबी दोनों के लिए निष्पादन अनुदान की पात्रता, उस वित्तीय वर्ष से सम्बंधित लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर होगी, जो उस वर्ष से दो वर्ष पहले का नहीं होना चाहिए जिसमें स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने की मांग की गयी हों।

10.15 पूर्ववर्ती आयोगों की सिफारिशों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष टी में स्थानीय निकाय अनुदान के लिए एक प्रारंभिक शर्त के रूप में, प्रत्येक स्थानीय निकाय के अनंतिम (वित्तीय वर्ष टी-1 के लिए) और लेखापरीक्षित (वित्तीय वर्ष टी-2 के लिए) दोनों लेखों की समयबद्ध रूप से ऑनलाईन पब्लिक डोमेन में उपलब्धता को अनिवार्य कर दिया। इन शर्तों के परिणामस्वरूप, यूएलबी और आरएलबी दोनों के लिए वित्तीय लेखों की तैयारी और उपलब्धता में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला तथा अधिक अनुप्रमाणित निर्णय लेने में सुविधा हुई।

छूट प्राप्त क्षेत्र

10.16 संविधान (अनुच्छेद 243ड और 243यग) के अनुसार 73वां और 74वां संविधान संशोधन पांचवीं और छठी अनुसूची के उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जहां राज्यों ने विधिवत निर्वाचित पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना के लिए कानून नहीं बनाए हैं। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम (पीईएसए), 1996 के अधिनियमन के उपरांत, बचे हुए 'छूट प्राप्त क्षेत्रों' का विवरण तालिका 10.3 में दिया गया है।

तालिका 10.3 भाग IX/IX-A के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्र

एक राज्य के भीतर राज्य/क्षेत्र	प्रावधान जिनके तहत छूट
मेघालय	शिलांग नगरपालिका क्षेत्रों के चयनित क्षेत्रों को छोड़कर, अनुच्छेद 243 ड (1) और 243यग (1) के तहत छूट और अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार छठी अनुसूची द्वारा कवर किया गया
मिजोरम	अनुच्छेद 243 ड (1) और 243 यग (1) के तहत छूट दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार छठी अनुसूची द्वारा कवर किए गए दो प्रशासनिक जिले लॉगतलाई और सियाहा हैं
असम: बोडोलैंड, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग जिले	अनुच्छेद 243 ड (1) और 243 यग (1) के तहत छूट दी गई और अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार छठी अनुसूची द्वारा कवर किया गया
त्रिपुरा	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों को अनुच्छेद 243 ड (1) और 243 यग (1) के तहत छूट दी गई है और अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार छठी अनुसूची द्वारा कवर किया गया है।
नागालैंड	अनुच्छेद 243 ड(2)(क) के तहत छूट प्राप्त है और छठी अनुसूची द्वारा कवर नहीं किया गया है
मणिपुर: पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं	अनुच्छेद 243 ड(2)(ख) के तहत छूट और छठी अनुसूची द्वारा कवर नहीं किया गया
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल द्वारा कवर किए गए	संविधान के अनुच्छेद 243 ड (3)(क)/243 यग (2) के तहत छूट प्राप्त है और छठी अनुसूची द्वारा कवर नहीं किया गया है

10.17 10वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए अनुदान आवंटित करने की सिफारिश की जिसमें वे राज्य भी शामिल थे जिनके लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना संवैधानिक

रूप से अनिवार्य नहीं था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि औपचारिक पंचायतों के अभाव में भी, ऐसे राज्यों में स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि निकायों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो। 11वें वित्त आयोग ने कुछ शर्तें प्रस्तावित की जिनमें यह निर्धारित किया गया कि 'छूट प्राप्त क्षेत्रों' को अनुदान तभी जारी किया जाएगा जब सम्बंधित राज्य 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे। 12वें वित्त आयोग ने अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए छूट प्राप्त और शामिल किए गए क्षेत्रों के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया, बल्कि, छठी अनुसूची में संशोधन के चल रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को अनुदान वितरण की जिम्मेदारी सौंपी। 13वें वित्त आयोग ने भाग-IX और IXअ तथा अनुच्छेद 244, 275 और 280 जैसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित होते हुए इन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से ₹1,357 करोड़ आवंटित किए। इसके विपरीत 14वें वित्त आयोग ने पहले की प्रथा को बदलते हुए इन क्षेत्रों के लिए कोई आवंटन नहीं किया। तथापि 15वें वित्त आयोग ने 13वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए तर्क के आधार पर छूट प्राप्त क्षेत्रों के लिए अनुदान फिर से शुरू किया।

राज्य वित्त आयोग

10.18 संविधान के अनुच्छेद 243-झ और 243-म में राज्य से स्थानीय निकायों को संसाधनों के अंतरण की पात्रता के लिए राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना अनिवार्य किया गया है। पूर्व के वित्त आयोगों ने भी स्थानीय सरकारों तक राजस्व विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने में राज्य वित्त आयोग की संभावित भूमिका को स्वीकार किया है। उन्होंने विशेष रूप से समयबद्ध गठन, पर्याप्त संसाधनों और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

10.19 11वें वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों से राज्य और स्थानीय सरकारों के संसाधनों के विस्तृत विश्लेषण और स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। 12वें वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों को उन मुद्दों की पहचान करने की सिफारिश की जिन पर संघ सरकार द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है। 12वें और 13वें वित्त आयोग, दोनों ने सिफारिश दी कि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के राजस्व और व्यय का मानक आंकलन करें। 13वें वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के लिए एक कॉमन टेम्पलेट तैयार करने की भी सिफारिश की।

10.20 14वें वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश दी कि प्रत्येक राज्य तत्काल राज्य वित्त आयोग का गठन करे और उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, अनुदानों की प्राप्ति हेतु एक विवरणात्मक ज्ञापन मार्च 2024 तक राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हितधारक परामर्श

10.21 आयोग ने स्थानीय निकायों को संसाधनों के अंतरण से सम्बंधित मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। संघ और राज्य सरकारों के औपचारिक जापनों के अलावा, आयोग ने राज्यों की अपनी प्रत्येक यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बातचीत की और इन यात्राओं के दौरान कई ग्राम पंचायतों और कुछ यूएलबी का भी दौरा किया।

केंद्र सरकार के विचार

10.22 केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदानों के अंत-वितरण के लिए जनसंख्या को 50 प्रतिशत भार, क्षेत्रफल को 15 प्रतिशत भार तथा स्थानीय निकाय को राज्यों द्वारा निधियों के निवल हस्तांतरण को 35 प्रतिशत भार के आधार पर करने की सिफारिश की है। इन्होंने आगे यह भी सिफारिश की है कि स्थानीय निकाय अनुदानों का राज्य-वार आवंटन 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण-शहरी घटक में विभाजित किया जाए और राज्यों में शहरीकरण की अलग-अलग दरों को ध्यान में रखा जाए।

10.23 केंद्र सरकार ने बल दिया कि स्थानीय निकायों की मूल वित्तीय आवश्यकताओं को संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के आशय के अनुरूप राज्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिये। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचीयों में सूचीबद्ध कार्यों का प्रभावी हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य शासन के तीसरे स्तर के रूप में सशक्त बनाने और केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

10.24 संघ ने दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु दो कारणों पर बल देकर भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदानों की जगह राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की वकालत की। पहला कारक राज्यों के लेखे और स्थानीय निकायों के लेखांकन वर्गीकरण में संशोधन के माध्यम से प्रयासों का मापन सुनिश्चित करना और दूसरा कारक संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचीयों के अनुसार स्थानीय निकायों को कार्य सौंपना हो सकता है।

10.25 संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों को संसाधनों का हस्तांतरण, उनके द्वारा सेवाओं की लागत वसूली जैसे क्षेत्रों में वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा होना चाहिए। संघीय अनुदानों की भूमिका परिवर्तित होकर स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गए संसाधनों के अनुपूरक हो सकती है। यह रेखांकित किया गया कि स्थानीय निकायों को राजस्व स्रोतों का हस्तांतरण, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान करने के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाता है।

10.26 इसके अलावा संपत्ति कर, बेहतरी शुल्क, वैल्यू कैप्चर शुल्क और पार्किंग शुल्क सहित शहरी नियोजन शुल्क और उद्देश्य आधारित उपकर जैसे स्टॉप ड्यूटी पर उपकर, मोटर वाहन

कर पर उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने, संपत्ति कर संग्रह में तेजी लाने के लिए एक कार्यात्मक जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली की स्थापना, आधुनिक भवन उप-नियमों को अपनाने, पारगमन उन्मुख विकास के कार्यान्वयन और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और एकत्र करने में प्रदर्शन के आधार पर उनके अंतर-स्थानीय निकाय वितरण को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई।

10.27 यह भी सुझाव दिया गया कि व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने और राजकोषीय विवेक को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पूंजीगत व्यय के लिए कम से कम पचास प्रतिशत स्थानीय निकाय अनुदान आवंटित किया जाना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय

10.28 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने राजस्व संग्रहण प्रणाली के डिजिटाइजेशन और अपने स्रोतों से राजस्व (ओएसआर) के सृजन पर बल दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने परियोजनाओं की सूची, जिसमें पंचायत भवनों का निर्माण एवं उनका उन्नयन तथा लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों की डिजिटल अवसंरचना उन्नयन शामिल थे, का भी सुझाव दिया, जिसके लिए निर्धारित अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया जा सकता है। उन्होंने अनुदानों के उपयोगों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव को भी शामिल करने की सिफारिश की।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

10.29 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने रूबन/ शहरी उप क्षेत्रों के लिए निधि निर्धारित करने और लेखा, अभियांत्रिकी और शहरी नियोजन जैसे महत्वपूर्ण डोमेन में शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता को विस्तारित करने के साथ-साथ स्थानीय निकाय अनुदानों में यूएलबी की हिस्सेदारी को 2025-26 के पैंतीस प्रतिशत से 2030-31 में चालीस प्रतिशत करने का सुझाव दिया। उन्होंने यूएलबी के ओएसआर को बढ़ाने और पारगमन उन्मुखी विकास एवं मूल्य आधारित वित्तपोषण जैसे नवाचारी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए जनगणना शहरों (सेंसस टाउन) को वैधानिक शहरों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

10.30 उन्होंने लेखांकन मानकों में एकरूपता लाने का सुझाव दिया और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामंजस्यपूर्ण नगरपालिका लेखांकन की दिशा में अपनी पहल के बारे में जानकारी दी, जिसमें पीएफएमएस के साथ एकीकृत वित्त मॉड्यूल के साथ एक ईआरपी समाधान का विकास भी शामिल है। एमओएचयूए ने शहरी स्थानीय निकायों के मौजूदा लेखा चार्ट (सीओए) को केंद्र सरकार के सीओए के साथ मैप करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी और इन पहलों के लिए निधियों की मांग की।

जल शक्ति मंत्रालय

10.31 मंत्रालय ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनाओं के अंतर्गत निर्मित पेयजल और स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु संसाधनों का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 15वें वित्त आयोग मॉडल के आधार पर आबद्ध (टाइड) और अनाबद्ध (अनटाइड) अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की, जिसमें कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनाबद्ध और जल, स्वच्छता और हायजीन (डब्ल्यूएसएच) के लिए 60 प्रतिशत आबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाए। मंत्रालय ने आबद्ध अनुदान को जल और स्वच्छता के बीच समान रूप से विभाजित करने की सिफारिश की। मंत्रालय ने पेयजल आपूर्ति के संबंध में संचालन एवं रखरखाव शुल्क की वसूली से जुड़े निष्पादन अनुदान और स्वच्छता के संबंध में विशिष्ट व्यावहारिक और कार्यक्षमता-आधारित परिणामों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया।

अन्य मंत्रालय

10.32 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिलियन से अधिक आबादी वाले (एमपीसी) 42 शहरों के लिए वायु गुणवत्ता अनुदान जारी रखने तथा 3 ओर एमपीसी (कन्नूर, कोच्चि और कोल्लम) को शामिल करने का प्रस्ताव दिया जो 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत शामिल नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 5-10 लाख की आबादी वाले 51 शहरों को वायु गुणवत्ता अनुदान में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्थानीय निकायों के लिए सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति, सरकारी परिसंपत्तियों को सौर उर्जा से संचालित करने के लिए ₹50,000 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की, ताकि परिसंपत्तियों का सतत संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य सरकारों के विचार

10.33 राज्य सरकारों के ज्ञापन में गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण 60:40 के अनुपात में ग्रामीण-शहरी अनुदान आवंटित करने की सिफारिश की, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और तेलंगाना ने अपने राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण-शहरी अनुदान आवंटित करने की सिफारिश की है। तमिलनाडु ने उल्लेख किया है कि शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम प्रतिव्यक्ति अनुदान प्राप्त होता है जोकि तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए अपर्याप्त है।

10.34 स्थानीय निकाय अनुदानों के पारस्परिक वितरण के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों के लिए दिए गए भार पर राज्यों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किये। कुछ राज्यों ने जनसंख्या और क्षेत्र के मौजूदा मानदंड को जारी रखने की सिफारिश की, जबकि अन्य राज्यों ने इसके अलावा विकेन्द्रीकरण सूचकांक, अभाव सूचकांक, आय में अंतर, वन क्षेत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी और जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान जैसे मापदंडों को शामिल करने का सुझाव दिया।

10.35 लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्य ज्ञापन में अनुदान संबंधी शर्तों पर अपने विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने या तो कोई आबद्ध अनुदान न देने अथवा 15वें वित्त आयोग के 40 प्रतिशत की तुलना में अनाबद्ध अनुदानों का बड़ा हिस्सा देने की वकालत की। राज्यों ने संपत्ति कर में वृद्धि नॉमिनल जीएसटीपी की समान दर पर हो की शर्त को पूरा करने में आने वाली कठिनाईयों का भी उल्लेख किया। कई राज्यों ने व्यावसायिक कर वसूली पर ₹2,500 अधिकतम सीमा को हटाने का भी सुझाव दिया।

10.36 कर्नाटक ने एसएफसी के गठन और स्थानीय निकायों के लेखों की लेखा परीक्षा जैसी शर्तों को हटाने का आग्रह किया। झारखंड, मणिपुर आदि जैसे अन्य राज्यों ने शर्तों में ढील देकर इन्हें न्यूनतम करने अथवा समाप्त करने की मांग की। केरल और महाराष्ट्र ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

10.37 उत्तर प्रदेश ने निधियों में लचीलापन लाने की सिफारिश की, जिसके तहत अनुदान का आधा हिस्सा विशिष्ट स्थानीय प्राथमिकताओं के लिए आवंटित किया जाए और शेष आधा हिस्सा व्यापक राष्ट्रीय या राज्य नीतिगत लक्ष्यों के लिए आवंटित किया जाए। राजस्थान ने भी आबद्ध अनुदानों की शर्तों में ढील देने का सुझाव दिया जिससे कि पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं के लिए निधि के आवंटन में और अधिक छूट मिल सके।

10.38 तमिलनाडु ने उच्च आवृत्ति, त्रैमासिक या मासिक स्तर पर निधि वितरण करने का सुझाव दिया जबकि हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष एक किस्त में अनुदान वितरित करने की सिफारिश की है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अधिकतम उपयोग के लिए निधि जारी करने को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया।

10.39 असम जैसे कई राज्यों ने एकमुश्त अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता की सिफारिश की, जिससे कि राज्य में नवगठित यूएलबी के लिए अवसंरचना विकास करने और मूल सेवा आपूर्ति में सहायता प्रदान की जा सके। कुछ राज्यों का विचार था कि वित्त आयोग को अपने अनुदानों में से वेतन भुगतान पर खर्च करने की अनुमति देनी चाहिए।

10.40 बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने मूल सेवाओं जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट, सार्वजनिक परिवहन, हरित स्थान, किफायती आवास, वर्षा जल निस्तारण प्रणाली, आपदा राहत और शमन तथा क्षमता निर्माण के लिए अनुदान का सुझाव दिया। ओडिशा ने परि- नगरीय क्षेत्रों के संरचित विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान का सुझाव दिया और मेघालय ने दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति की उच्च लागत का समाधान करने के लिए समर्पित अवसंरचना अनुदान की सिफारिश की।

10.41 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम ने यह प्रस्ताव दिया कि स्थानीय निकाय अनुदान का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया जाए और यह स्पष्ट सिफारिश की जाए कि स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) वित्त आयोग अनुदान के लिए पात्र हों।

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

10.42 आयोग ने अपने राज्य दौरों के दौरान, सभी स्तरों पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ, जिनमें एडीसी के सदस्य भी शामिल थे, विस्तृत चर्चा की। इन चर्चाओं से प्राप्त हुए प्रमुख सुझावों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. लगभग प्रत्येक राज्य में, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने या तो अनाबद्ध अनुदानों में वृद्धि का मांग की, या आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों के बीच विभाजन में छूट देने अथवा उसे समाप्त करने की मांग की ताकि स्थानीय निकायों को अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय में अधिक छूट मिल सके।
2. यह भी सुझाव दिया गया था कि व्यापक ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी तीन स्तरों - ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए।
3. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुदान वितरण के मानदंड केवल जनसंख्या पर आधारित न हों, बल्कि राज्यों की भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक कारकों को भी इसमें शामिल किया जाए।
4. कई राज्यों के यूएलबी के प्रतिनिधियों ने प्राथमिकता क्षेत्रों जिसमें सड़क, नालियां, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षाजल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, नालियों की सफाई, क्षमता निर्माण, डिजिटाइज़ेशन, शहरी गतिशीलता, तकनीकी सहायता और सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास सहित प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधारभूत अवसंरचना विकास निधि की मांग की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि के अनुरूप महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सहित सामाजिक विषयों के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया।
5. इसी प्रकार, आरएलबी के प्रतिनिधियों ने सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित), प्रकाश व्यवस्था और अवसंरचना विकास के साथ-साथ क्षमता निर्माण और कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की मांग की।
6. स्थानीय निकायों ने अधिक कुशल और समय पर अनुदान वितरण की भी सिफारिश की। यह भी सुझाव दिया गया कि अनुदान सालाना एक किस्त में जारी किया जाए।

कराए गए अध्ययन

10.43 आयोग ने स्थानीय निकायों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित अध्ययन कराए।

- (i) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से भारत में राज्यों के नवीनतम राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें ।
- (ii) जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के सिद्धांत ।
- (iii) जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी के माध्यम से नगरपालिका सुधार ब्लूप्रिंट ।
- (iv) इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सैट्लमेंट्स (आईआईएचएस) के माध्यम से भारत में शहरीकरण की पहचान और वित्तपोषण ।
- (v) विश्व बैंक के माध्यम से जनगणना शहरों (सेंसस टाउन) को सांविधिक नगरों में बदलने को प्रोत्साहन ।
- (vi) इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट आण्ड (आईआरएमए) के माध्यम से पंचायत वित्त की व्यापक समीक्षा और उनके राजस्व में वृद्धि करने के उपाय ।
- (vii) इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ (आईईजी) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के अनुदानों की स्थिति और प्रभाव ।

स्थानीय निकायों पर आयोजित किए गए सम्मेलन

10.44 व्यापक विचार-विमर्श के एक भाग के रूप में, आयोग ने स्थानीय निकायों पर निम्नलिखित सम्मेलन आयोजित किए:

- (i) वित्त आयोग कॉन्क्लेव - हस्तांतरण से विकास पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से।
- (ii) जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी के सहयोग से, भारत में शहरी स्थानीय सरकार को मजबूत करने पर महापौरों और अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन।
- (iii) एशियाई विकास बैंक के सहयोग से शहरी वित्त पर सम्मेलन।

10.45 इन अध्ययनों और सम्मेलनों के परिणामों ने स्थानीय निकायों और उनके वित्तपोषण के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाया है। उपर्युक्त अध्ययनों और सम्मेलनों के बारे में और अधिक जानकारी अध्याय 1 और संबंधित अनुलग्नकों में प्रदान की गई है।

समस्याएं, विश्लेषण और दृष्टिकोण

10.46 हम मानते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शहरीकरण का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। जो श्रमिक शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, वे बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में ऐसा करते हैं जो उन्हें अपने साथ-साथ अपने विस्तारित परिवारों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, इस तरह के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति श्रमिक भूमि की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे इन क्षेत्रों में औसत श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि होती है। 46 प्रतिशत श्रमिक अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, इसलिए प्रति श्रमिक बहुत कम भूमि उपलब्ध है। भारत में लगभग आधी भूमि जोत आधे हेक्टेयर से भी छोटी है, जिसका औसत आकार एक चौथाई हेक्टेयर से थोड़ा कम है।

10.47 समग्र उत्पादकता के दृष्टिकोण से, 2023-24 में कृषि क्षेत्र में 46 प्रतिशत कार्यबल और मात्र 17.8 प्रतिशत मूल्य वर्धन (वर्तमान मूल्यों पर) के साथ, उद्योग और सेवाओं में प्रति श्रमिक औसत मूल्य संवर्धन कृषि की तुलना में 3.9 गुना अधिक है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की आवाजाही, जो कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर जाने की प्रवृत्ति से गहराई से जुड़ी हुई है, प्रति श्रमिक समग्र मूल्य वर्धन बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता रखती है।

10.48 ग्रामीण और शहरी आय दोनों में योगदान देने में शहरीकरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यूएलबी अनुदानों के लिए अपनी सिफारिशों में, हमने मध्यम आकार के नगरों की शहरी अवसंरचना में सुधार पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है ताकि वे शहरीकरण की बढ़ती मांगों का बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। इसके अतिरिक्त, हमने यह भी स्वीकार किया है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में सुचारू रूप से परिवर्तन हेतु एक सुदृढ़ रूपरेखा की तत्काल आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में प्रशासित परिनगरीय क्षेत्रों को समय पर समीपवर्ती यूएलबी में सम्मिलित किया जा सके।

10.49 हमारा दृष्टिकोण जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से भी प्रेरित रहा है। हम स्वीकार करते हैं कि इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है और समुचित संचालन और रखरखाव न होने से उनका या तो कम उपयोग होगा या वे बेकार हो जाएंगी।

10.50 हमने स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधन स्वयं सृजित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। वर्तमान में, ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के स्थानीय निकायों के स्वयं द्वारा सृजित संसाधन बहुत कम हैं। वे अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर, पूरी तरह से नहीं तो बड़ी मात्रा में निर्भर हैं। 15वें वित्त आयोग ने अनुदान को संपत्ति-कर राजस्व में वृद्धि से जोड़कर यूएलबी को अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक तंत्र को सुझाया था। हम इस प्रोत्साहन प्रयास को आगे ले गए हैं।

10.51 पूर्व के वित्त आयोगों ने यह कहा है कि आरएलबी और यूएलबी के लिए राजकोषीय संसाधनों के प्रावधान की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस संबंध में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपनी सिफारिशों में हमने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकारें, राज्य वित्त आयोगों का गठन करें और उनकी सिफारिशों पर नियमित रूप से कार्रवाई करें। राज्यों की स्थानीय निकायों को संसाधन- अंतरण की जिम्मेदारी को रेखांकित करने के लिए, हमने अपने अनुदान के एक हिस्से को उनसे प्राप्त होने वाली समतुल्य (मेचिंग) निधियों से भी जोड़ा है।

10.52 आयोग का मत है कि स्थानीय निकायों के प्रभावी संचालन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। यह पिछले वित्त आयोगों के लिए भी निरंतर फोकस का क्षेत्र रहा है। हमने देखा है कि इस मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु यथासमय सटीक लेखों की उपलब्धता और उनकी लेखा-परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना शेष है।

शहरीकरण पर बल

10.53 शहरीकरण आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। नगर भौतिक और मानव पूंजी, अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं सहित संसाधन केंद्रित करते हैं, जिससे खपत, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

10.54 भारत की जनगणना, सेंसस टाउन की जनसंख्या को शहरी के रूप में वर्गीकृत करती है। यह सेंसस टाउन को किसी भी सन्निहित भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें (i) जनसंख्या 5,000 अथवा उससे अधिक हो, (ii) जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी 400 व्यक्ति या उससे अधिक हो, और (iii) 75 प्रतिशत या उससे अधिक पुरुष कार्यबल गैर-कृषि व्यवसायों में लगे हुए हो। हालांकि, बहुत से सेंसस टाउन में शहरी प्रशासन नहीं होने से वे सांविधिक नगर नहीं हैं।

10.55 इस आयोग के विचार में, उचित योजना और पर्याप्त वित्तपोषण के साथ शहरी क्षेत्रों की समयबद्ध और नियम-आधारित पहचान, भारत के शहरीकरण को गति देने के लिए अत्यावश्यक है, जिससे शहरों की उत्पादकता और जीवन क्षमता में समानांतर वृद्धि होगी। आदर्श रूप से, प्रत्येक राज्य को शहरी विशेषताओं को प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की समय पर और नियम-आधारित पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट परिवर्तन नीति तैयार करनी चाहिए। इस नीति में एक सुपरिभाषित और समयबद्ध तंत्र और शहरी प्रशासनिक इकाइयों में उनके परिवर्तन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। परिवर्तन काल का उपयोग शहरी नियोजन के लिए उपयुक्त शहरी प्रशासनिक क्षमताओं और तंत्र स्थापित करने, नागरिकों को शहरी सेवाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराने और अभिलेखों तथा नए प्रशासन को अभिलेख तथा सूचनाओं के निर्बाध हस्तांतरण के लिए किया जाना चाहिए। संक्षेप में, ऐसी नीतियों का उद्देश्य संसाधनों, अवसंरचना, सेवाओं और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं को शहरी स्तर तक बढ़ाना होना

चाहिए। *बॉक्स 10.1* में, हमने 27 जून 2023 को अधिसूचित ओडिशा की ग्रामीण शहरी परिवर्तन नीति का वर्णन उन राज्यों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में किया है जो ऐसी नीति लागू करने में रुचि रखते हैं।

बॉक्स 10.1 ओडिशा की ग्रामीण शहरी परिवर्तन नीति

ओडिशा ने अपनी ग्रामीण शहरी परिवर्तन नीति (जून 2023) के माध्यम से परिणगरीय क्षेत्रों में शहरीकरण के लिए एक व्यवस्थित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। यह नीति औपचारिक शहरी मान्यता से पहले ही शहरी स्तर की सेवाएं और अवसंरचना प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करके इन क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करती है। यह दृष्टिकोण बजटीय आवंटन और स्थानीय राजनीतिक और नौकरशाही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्पित हैंडहोल्डिंग द्वारा समर्थित है। एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति और राज्य शहरी विकास एजेंसी के नेतृत्व में हब-एंड-स्पोक गवर्नेंस मॉडल अंतर्गत हब के रूप में और जिला शहरी विकास एजेंसियों और विकास प्राधिकरणों को स्पोक के रूप में नियोजित करते हुए, नीति एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करती है। यह तंत्र शहरी योजनाकरण, शहरी डिजाइन, विकास अर्थशास्त्रियों, अवसंरचना के विशेषज्ञों और आईटी विशेषज्ञों की विशेषज्ञता के साथ-साथ संबंधित यूएलबी और आरएलबी के स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की नागरिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करता है। इस नीति में परिवर्तन के लिए क्षेत्रों के चयन और रैंकिंग के लिए विशिष्ट कारकों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें जनसंख्या, घनत्व, मौजूदा नगर पालिकाओं के साथ निकटता, राजस्व जुटाने की क्षमता, भूमि संरचना, रोजगार संरचना, आर्थिक महत्व और गतिशीलता/परिवहन और अवसंरचना से संबंधित विवरण शामिल हैं। इसमें शहरी नियोजन और डिजाइन में लक्षित हस्तक्षेप, शहरी शासन क्षमताओं और संसाधनों को बढ़ाने, शहरी मानदंडों के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित करने, आवश्यक अवसंरचना और संस्थानों का विकास करने और राजस्व जुटाने के लिए प्रभावी प्रणाली बनाने की कल्पना की गई है। यह नीति व्यवस्थित शहरीकरण की नींव के रूप में एक नियोजित और चरणबद्ध परिवर्तन के महत्व को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य बेतरतीब और गैर-मान्यता प्राप्त शहरी विकास से उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं को रोकना है।

स्थानीय निकायों द्वारा संसाधन जुटाना

10.56 राजस्व के अपने स्रोतों के महत्व पर जोर देना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। अधिकांश राज्यों में, आरएलबी में ग्राम पंचायतों द्वारा ओएसआर एकत्र किया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश इसके अपवाद हैं, जहां इन राज्यों में ओएसआर जिला पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है। आमतौर पर अधिकांश राज्यों में, ब्लॉक पंचायतें ओएसआर एकत्र करने के लिए सबसे कम अधिकार प्राप्त हैं। *अनुलग्नक 10.1* में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए राज्यों में आरएलबी के सभी तीन स्तरों द्वारा सृजित ओएसआर के आंकड़े दिए गए हैं।

10.57 पूरे भारत में पंचायतों को अपना राजस्व जुटाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक हो जाती है, जो

अक्सर उनके राजस्व के 90 प्रतिशत से अधिक होता है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन अनुदानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगे होते हैं, जिससे पंचायतों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है। आरएलबी के ओएसआर पर पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन निकायों का ओएसआर उनके कुल व्यय का केवल 6-8 प्रतिशत ही है।

10.58 कई पंचायतें विभिन्न करों और शुल्कों को एकत्र करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त होने के बावजूद, स्पष्ट वैधानिक या प्रशासनिक प्रावधानों, क्षमता की कमी और कमजोर प्रवर्तन तंत्र के कारण इन राजस्व स्रोतों का उपयोग करने में विफल रहती हैं। दूसरी ओर अनुदानों ने ओएसआर को जुटाने के लिए एक हतोत्साहक के रूप में भी काम किया है।

10.59 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई स्वामित्व (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण) योजना का चल रहा कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति करों में वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का वायदा करता है, जिससे अंततः आरएलबी के लिए ओएसआर सृजन में वृद्धि होगी और वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण संपत्तियों के मालिकों की पहचान करती है, जो संपत्ति कर संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है।

10.60 आरबीआई की नगरपालिका वित्त, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि अधिकांश नगरीय निकायों के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उनके अपने राजस्व स्रोत पर्याप्त नहीं हैं, जिससे उनकी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है। नगरपालिकाओं के राजस्व बड़े यूएलबी में असमान रूप से केंद्रित हैं।

10.61 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों से cityfinance पोर्टल के माध्यम से एकत्रित, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए सभी राज्यों के यूएलबी के ओएसआर आंकड़े *अनुलग्नक 10.2* में दिए गए हैं।¹ हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम का ओएसआर, जहां कुल यूएलबी आबादी का 50 प्रतिशत निवासरत है, कुल यूएलबी ओएसआर का 80 प्रतिशत हैं। इसके विपरीत, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें, जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार यूएलबी आबादी का 36 प्रतिशत और 14 प्रतिशत हिस्सा निवासरत हैं, यूएलबी के ओएसआर का क्रमशः 16 प्रतिशत और 4 प्रतिशत एकत्र करती हैं। राज्यों में, महाराष्ट्र और गुजरात के यूएलबी 2023-24 में प्रति व्यक्ति ओएसआर के सृजन में सबसे आगे हैं, जबकि बिहार, झारखंड, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्य पीछे हैं।

10.62 जनाग्रह² के विश्लेषण के अनुसार, भारत में यूएलबी की सभी श्रेणियों के लिए कुल नगरपालिका राजस्व में ओएसआर 51 प्रतिशत का योगदान देता है। जैसा कि स्वाभाविक है,

¹ cityfinance पोर्टल पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर

² आयोग के लिए जनाग्रह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, जिसमें सिटीफाइनेंस पोर्टल पर 2020-21 के लिए 2,646 शहरों के वार्षिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया गया था।

यूएलबी के आकार में कमी के साथ कुल राजस्व में ओएसआर का योगदान भी घटता है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले यूएलबी में, कुल राजस्व में ओएसआर की 61 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 5 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले यूएलबी के लिए यह अनुपात घटकर 55 प्रतिशत और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले यूएलबी के लिए केवल 32 प्रतिशत रह जाता है।

10.63 राजस्व के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर स्थानीय निकायों की भारी निर्भरता इन निकायों की स्वतंत्रता के साथ-साथ स्थानीय आबादी को सेवा प्रदान करने के लिए उनकी जवाबदेही को कमजोर करती है। इन विचारों से आंशिक रूप से प्रेरित होकर, 13वें और 15वें वित्त आयोग ने संपत्ति/गृह कर के बेहतर संग्रह के माध्यम से ओएसआर को बढ़ाने की सिफारिश की। 13वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों पर सेवा शुल्क के भुगतान और स्थानीय निकायों के साथ खनन रॉयल्टी साझा करने का भी सुझाव दिया।

10.64 स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध सभी कर स्रोतों में से, संपत्ति कर सबसे बड़ी राजस्व क्षमता प्रदान करता है। हालाँकि, यूएलबी और आरएलबी दोनों द्वारा इसका कम उपयोग किया गया है। इसलिए, पूर्व के वित्त आयोगों ने इन निकायों द्वारा संपत्ति कर संग्रह बढ़ाने के उपायों की सिफारिश की है। विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग ने यूएलबी अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में न्यूनतम संपत्ति कर दरों की अधिसूचना (2022-23 के लिए) जारी करना और संपत्ति कर में निर्दिष्ट वृद्धि की शर्त को रखा।

10.65 हालांकि, संपत्ति कर की पूर्ण क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जनाग्रह द्वारा 3,895 यूएलबी पर किये गए एक विश्लेषण³, जो कुल यूएलबी का 81 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, से पता चलता है कि 2022-23 में ₹69,937 करोड़ की कुल संपत्ति कर मांग के मुकाबले केवल ₹36,662 करोड़ एकत्र किए गए थे। जबकि संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि हुई है, पर इसकी विकास दर कम हो गई है, जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के बाद के वर्षों में संपत्ति कर वृद्धि की स्थिति को पूरा करने में परिपूर्णता और कठिनाई का संकेत देती है। मार्च 2025 तक के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, संपत्ति कर वृद्धि की अनिवार्य शर्त के कारण वित्त आयोग अनुदान के लिए राज्य दावों की संख्या 2023-24 में 22 राज्यों से घटकर 2024-25 में 16 हो गई। 15वें वित्त आयोग की इस शर्त को पूरा नहीं कर सकने वाले यूएलबी में से अधिकांश 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी से सम्बंधित है।

10.66 2021-22 के लिए यूएलबी के कुल ओएसआर में संपत्ति कर के योगदान पर जनाग्रह के विश्लेषण⁴ से पता चलता है कि बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में यह 60 प्रतिशत से अधिक

³ स्व-रिपोर्ट किया गया cityfinance.in पर उपलब्ध संपत्ति कर डेटा 01 अप्रैल 2024 तक

⁴ जनाग्रह द्वारा 23 राज्यों के 3,322 शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षित विवरणों का विश्लेषण जो की cityfinance पोर्टल पर उपलब्ध है


है, जबकि राजस्थान में यह 10 प्रतिशत से कम है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी में इस अनुपात में बड़ी भिन्नताएं हैं। कम संग्रह के कुछ कारणों में अपूर्ण और गलत संपत्ति रिकॉर्ड, कम कवरेज, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अपेक्षा से कम संग्रह दक्षता हैं।

10.67 स्थानीय निकाय वित्त को मजबूत करने के लिए देश में संपत्ति करों को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। राज्यों को संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:

- i. संपत्ति कर की कुशल उगाही और संग्रह के लिए उपयुक्त नियमों और विनियमों का अधिनियमन।
- ii. जीआईएस-आधारित डिजिटल संपत्ति कर रजिस्टर को अपनाने और शहरों के जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान से जोड़ने से मास्टर प्लान में संशोधन होने पर संपत्ति कर रजिस्टर का स्वतः अद्यतन होना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार, यह रजिस्टर सटीक वर्तमान भूमि उपयोग को दर्शाएगा जिससे संपत्ति कर में वृद्धि संभव होगी।
- iii. राज्य अधिनियमों और नियमों में मार्गदर्शन मूल्य में वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर गणना और संपत्ति कर के नियमित अद्यतन को अनिवार्य करना।
- iv. शहरी क्षेत्रों में एक ऑनलाइन स्व-आंकलन तंत्र तथा मांग जारी करने के लिए एक प्रणाली के साथ स्व-आंकलन प्रपत्रों की रैंडम जांच के लिए एक प्रणाली।
- v. संपत्ति डेटाबेस के सृजन और अनुरक्षण के लिए अलग संपत्ति आईडी का उपयोग करने से कुशल संपत्ति कर बिलिंग और संग्रह की सुविधा मिलती है। इस डेटाबेस को संपत्ति विशेषताओं और मूल्यांकन रिकॉर्ड के स्वतः सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस, जैसे पानी, सीवरेज, बिजली, व्यापार लाइसेंस और भवन अनुमतियों के साथ उचित रूप से जोड़ा जा सकता है।

10.68 चित्र 10.2 आरएलबी के सभी तीन स्तरों द्वारा राज्यों में 2023-24 में सृजित ओएसआर को प्राथमिक क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। जबकि यह समग्र स्तर पर ही कम है, परंतु राज्य स्तर पर इसमें महत्वपूर्ण भिन्नता है। ओएसआर-प्राथमिक क्षेत्र जीएसवीए का अनुपात केरल में 2.38 प्रतिशत और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में शून्य और बिहार में केवल 0.03 प्रतिशत है। इसी प्रकार चित्र 10.3 2023-24 में विभिन्न राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गैर-प्राथमिक क्षेत्र के जीएसवीए के प्रतिशत के रूप में उत्पन्न ओएसआर को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि यह प्रतिशत महाराष्ट्र में 1.40 प्रतिशत से लेकर मणिपुर और मेघालय में 0.02 प्रतिशत तक बदलता है। यह असमानता संसाधन सृजन के लिए शक्तियों के हस्तांतरण के विविध स्तर, सांविधिक परिदृश्य और प्रशासनिक क्षमताओं में अंतर और अन्य कारकों का संकेत है।


चित्र 10.2 आरएलबी का ओएसआर (प्राथमिक क्षेत्र जीएसवीए का प्रतिशत, 2023-24)



स्रोत: 16वें वित्त आयोग के पोर्टल पर राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित ओएसआर डेटा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए जीएसवीए डेटा 2023-24

नोट: झारखंड, मिजोरम और नागालैंड के डेटा उपलब्ध नहीं (एनए) और मेघालय ने केवल एडीसी ओएसआर प्रदान किया है जिसे आरएलबी ओएसआर से बाहर रखा गया है।

चित्र 10.3 यूएलबी का ओएसआर (गैर-प्राथमिक क्षेत्र जीएसवीए का प्रतिशत, 2023-24)



स्रोत: ओएसआर डेटा 4621, यूएलबी के लिए 28 अगस्त 2025 तक 16वें वित्त आयोग के लिए cityfinance.in पोर्टल पर यूएलबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, जीएसवीए 2023-24 डेटा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया

लेखा और लेखापरीक्षा

10.69 2004 में तैयार की गई राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएम) ने देश भर में यूएलबी की लेखांकन प्रथाओं के लिए एक समान संरचना शुरू करने के लिए पहला महत्वपूर्ण और ठोस प्रयास किया था। तथापि, सांविधिक समर्थन के अभाव में, विभिन्न राज्यों और अलग-अलग राज्यों के भीतर इसे अपनाना असंगत और अधूरा रहा है। नतीजतन, कुछ राज्य और बड़े यूएलबी, अक्सर गैर-तुलनीय लेखांकन शीर्षों का उपयोग करते हुए, अपनी अलग-अलग लेखा प्रणालियों का पालन करते हैं।

10.70 cityfinance पोर्टल के माध्यम से 97 प्रतिशत यूएलबी के लिए राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखांकन आंकड़ों के आधार पर, 66 प्रतिशत उपार्जित (एकुअल) लेखांकन, 21 प्रतिशत नकद लेखांकन और 13 प्रतिशत मिश्रित नकदी उपार्जित लेखांकन का पालन करते हैं। इनमें राज्य-वार निकायों में महत्वपूर्ण अंतर भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगभग 98 प्रतिशत यूएलबी उपार्जित लेखांकन का पालन करते हैं, जबकि गोवा और पंजाब में यह केवल 7 प्रतिशत और नागालैंड में 6 प्रतिशत है। इस तरह की भिन्नता परीक्षण, लेखापरीक्षा और एक सार्थक अंतर-राज्यीय तुलना को बेहद कठिन बना देती है।

10.71 वर्तमान में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान विकसित करने के लिए प्रयास चल रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन के अंकन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत तरीके से लेखों की तैयारी की सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी के मौजूदा चार्ट ऑफ अकाउंट्स (सीओए) को केंद्र सरकार के चार्ट ऑफ अकाउंट्स (सीओए) के साथ मैप करने के लिए भी प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने बेहतर शासन के लिए एक शहरी डेटा प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की है। यह आयोग लेखे और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्षमताएं बढ़ाने की सिफारिश करता है।

10.72 यूएलबी के विपरीत, आरएलबी ने ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म को अपनाने के माध्यम से लेखों का डेटा प्रदान करने में उत्कृष्ट प्रगति की है। यह वेब-आधारित पोर्टल देश भर में 2.5 लाख से अधिक आरएलबी के लिए योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन की सुविधा प्रदान करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

10.73 आरएलबी समान रूप से नकद-आधारित मॉडल लेखा प्रणाली (एमएस) का पालन करते हैं। यह प्रणाली पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी तीन स्तरों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक सरलीकृत लेखांकन ढांचा प्रदान करती है। लेखांकन संरचना कई योजनाओं के तहत धन प्रवाह को नियंत्रित करती है, और इसके सीओए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ संरेखित होते हैं।

10.74 इस संदर्भ में, हम सीएजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था को जारी रखने और मजबूत करने का समर्थन करते हैं। राज्य सरकारों को कौशल विकास में निवेश करके और मानव संसाधन की कमी को दूर करके अपने स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभागों (एलएफएडी) की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए।

डेटा स्रोत

10.75 आरएलबी के लिए, हमने अपने समर्पित पोर्टल पर विशिष्ट प्रारूपों के माध्यम से राज्यों से डेटा प्राप्त किया। हमने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक डेटा का भी लाभ उठाया, जिसमें ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी भी शामिल है। यूएलबी के लिए, आयोग द्वारा cityfinance पोर्टल के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भी प्रदान किया गया था। केंद्रीय मंत्रालयों के ठोस प्रयासों और पिछले वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण, पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय निकाय डेटा की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है। अब प्राथमिक चुनौती, विभिन्न प्लेटफार्मों पर डेटा की उपलब्धता से हटकर विश्वसनीयता और स्थिरता की ओर है।

10.76 हालांकि वित्तीय डेटा की उपलब्धता काफी हद तक है, विश्वसनीयता और स्थिरता के मुद्दों ने डेटा के हमारे विश्लेषण को भी बाधित किया है। प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त डेटा प्राप्त करने के लिए कई दौर के प्रयासों की आवश्यकता थी। फिर भी कुछ डेटा गुणवत्ता संबंधी समस्याएं अंत तक बनी रहीं। इस अनुभव से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्थानीय निकायों से संबंधित वित्तीय डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से सम्बंधित मुद्दों को तत्काल हल करने की आवश्यकता है।

राज्य वित्त आयोग और राज्यों द्वारा हस्तांतरण

10.77 स्थानीय निकायों से सम्बंधित सिफारिशें तैयार करने के लिए एसएफसी रिपोर्टों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में पूर्व के वित्त आयोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 15वें वित्त आयोग द्वारा एसएफसी के गठन और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को स्थानीय निकाय अनुदानों के वितरण के लिए एक पूर्व शर्त बनाए जाने के बाद, इस मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, पिछले वित्त आयोगों द्वारा उठाए गए अधिकांश अन्य मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। *तालिका 10.4* मई 2025 तक विभिन्न राज्यों⁵ में एसएफसी के गठन की स्थिति को दर्शाती है।

⁵ मेघालय ने अभी तक एसएफसी का गठन नहीं किया है, हालांकि उसने मेघालय राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 2012 और मेघालय राज्य वित्त आयोग नियम, 2013 को अधिसूचित किया है

तालिका 10.4 एसएफसी के गठन की स्थिति

राज्यों का नाम	अंतिम एसएफसी का गठन
असम, हिमाचल प्रदेश और केरल	VII
बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल	VI
आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और त्रिपुरा	V
छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर और नागालैंड	IV
अरुणाचल प्रदेश, गोवा	III
मिजोरम, तेलंगाना	II

स्रोत: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा संकलित डेटा और राज्यों से एकत्र की गई जानकारी (मई 2025 तक)

10.78 लेखांकन संबंधी सीमाओं के कारण, आयोग राज्यों के वित्त लेखों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और वित्त आयोग के धन के तहत हस्तांतरण से परे स्थानीय निकायों को राज्य हस्तांतरण का सटीक आकलन करने में असमर्थ था। संविधान के अनुरूप, राज्यों को स्थानीय निकायों की संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करने और आवश्यक हस्तांतरण करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से अनुदानों की भूमिका केवल अनुपूरक होनी चाहिए। राज्यों को अपने बजट में यूएलबी और आरएलबी के लिए वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की संचित निधि से हस्तांतरण, सीएसएस, एसएफसी अनुदान और राज्य सरकार से अन्य अनुदानों के तहत सभी हस्तांतरणों की पारदर्शी रूप से रिपोर्ट देनी चाहिए। इन हस्तांतरणों को उनके सभी घटकों के साथ, राज्य वित्त लेखों के परिशिष्ट III में भी सूचित किया जाना चाहिए। आयोग का मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग को सभी स्थानीय निकायों में स्थिरता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रारूपों का पालन करना चाहिए, जिससे भविष्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से डेटा का एकीकरण संभव हो सके। राज्य एक अलग माँड्यूल को शामिल करने के लिए अपनी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) का विस्तार कर सकते हैं जो कई स्रोतों से सूचना को एकीकृत करता है, जिससे प्रत्येक राज्य में यूएलबी और आरएलबी दोनों के लिए राजकोषीय निकासी तैयार करने में सुविधा होगी।

10.79 2022-23 के लिए राज्यों के महालेखाकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने यूएलबी को उल्लेखनीय राज्य निधि अंतरित की है, जबकि आंध्र प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अंतरण में पिछड़ गए हैं। कर्नाटक और केरल जैसे राज्य आरएलबी को राज्य निधि अंतरित करने में अग्रणी हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल इसमें पिछड़ गए हैं।

10.80 एसएफसी से सम्बंधित दो और मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, यह सुझाव दिया गया है कि वित्त आयोग को एसएफसी द्वारा किये गए स्थानीय निकायों की व्यय आवश्यकताओं और अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व और राज्यों से अनुदान के आंकलन के आधार पर होने वाले अंतराल को भरने की भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण से राज्यों और स्थानीय निकायों को राजस्व जुटाने के अपने प्रयासों में आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम होता है। एक बेहतर विकल्प यह है कि वित्त आयोग के अनुदान को राज्यों के अपने स्थानीय निकायों को अनुदान और स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व प्रयासों से जोड़ा जाए।

10.81 दूसरा, अनुच्छेद 280(3)(बीबी) और 280(3)(सी) में, संविधान वित्त आयोग को 'राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर' आरएलबी और यूएलबी पर अपनी सिफारिशें करने का निर्देश देता है। हालांकि, जैसा कि क्रमिक आयोगों ने नोट किया है और इस आयोग ने भी अनुभव किया है, एसएफसी द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर हमारी सिफारिशों को सार्थक रूप से आधार बनाने के रास्ते में अभी भी गंभीर बाधाएं हैं। जैसा कि हम निकट भविष्य में इन बाधाओं को दूर होने की उम्मीद नहीं करते हैं, 11वें वित्त आयोग के अनुरूप, हम अनुशंसा करते हैं कि उपरोक्त उद्धृत प्रावधान को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्बंधित अनुच्छेदों से हटा दिया जाए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि नीति आयोग राज्यों में एसएफसी के कामकाज का अध्ययन कर सकता है और सभी राज्यों के संदर्भ के लिए एसएफसी की अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह प्रकाशित कर सकता है।

स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

10.82 स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का निर्धारण करने में हम आरएलबी और यूएलबी अनुदानों के इतिहास, उनके उपयोग की प्रवृत्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की संभावित जनसंख्या वृद्धि और केंद्र सरकार के पास उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों द्वारा मार्गदर्शित हुए हैं।

10.83 हम अनुशंसा करते हैं कि आरएलबी के लिए अनुदान को मूल और निष्पादन घटकों में और यूएलबी के लिए अनुदान को मूल, निष्पादन, शहरी मूल ढांचे तथा शहरीकरण प्रीमियम घटकों में वर्गीकृत किया जाए।

10.84 हम 2026-27 से 2030-31 तक की हमारी अनुशंसा अवधि के लिए विधिवत गठित आरएलबी और यूएलबी के लिए अनुदान के रूप में कुल ₹7,91,493 करोड़ के आवंटन की सिफारिश करते हैं। इस राशि में से, हम एक विशेष अवसंरचना घटक के लिए ₹56,100 करोड़ और शहरीकरण प्रीमियम के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित करते हैं, जिस के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। शेष राशि 2031 तक 40.73 प्रतिशत⁶ के अनुमानित शहरीकरण स्तर और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए, आरएलबी और यूएलबी को 60:40 के अनुपात में आवंटित की जाती है। प्रत्येक ग्रामीण और शहरी घटक को

⁶ संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व शहरीकरण की संभावनाएं 2018

मूल और निष्पादन घटकों में 80:20 के अनुपात में उप-विभाजित किया गया है। तालिका 10.5 आयोग की अनुशंसा अवधि के पांच वर्षों में कुल ग्रामीण और कुल शहरी अनुदान दर्शाती है। आरएलबी और यूएलबी दोनों अनुदानों के निष्पादन घटकों को आगे दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आरएलबी/ यूएलबी निष्पादन घटक और राज्य निष्पादन घटक के रूप में चिन्हित किया गया है। आरएलबी के लिए आरएलबी निष्पादन घटक अनुशंसा अवधि के तीसरे वर्ष से शुरू होता है और यूएलबी के लिए यूएलबी निष्पादन घटक दूसरे वर्ष से शुरू होता है। राज्य निष्पादन घटक आरएलबी और यूएलबी दोनों के लिए दूसरे वर्ष से शुरू होता है।

तालिका 10.5 16वें वित्त आयोग के स्थानीय निकाय अनुदान (₹ करोड़)

वर्ष	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	कुल
ग्रामीण	55,909	71,300	92,166	1,02,303	1,13,558	4,35,236
मूल घटक	55,909	62,059	68,885	76,462	84,873	3,48,188
आरएलबी निष्पादन घटक	0	0	13,023	14,455	16,046	43,524
राज्य निष्पादन घटक	0	9,241	10,258	11,386	12,639	43,524
शहरी	45,272	68,219	74,126	80,682	87,958	3,56,257
मूल घटक	37,272	41,372	45,923	50,975	59,583	2,32,125
यूएलबी निष्पादन घटक	0	6,161	6,839	7,591	8,425	29,016
राज्य निष्पादन घटक	0	6,161	6,839	7,591	8,425	29,016
विशेष अवसंरचना घटक	6,000	12,525	12,525	12,525	12,525	56,100
शहरीकरण प्रीमियम	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
कुल	1,01,181	1,39,519	1,66,292	1,82,985	2,01,516	7,91,493

राज्यों और उसके अधीनस्थ स्तरों को आरएलबी अनुदान का आवंटन

10.85 हम आगे अनुदान के आरएलबी घटक के पारस्परिक-वितरण पर विचार करते हैं। राज्यों के बीच आवंटन करने के बाद, एक विशिष्ट राज्य को आवंटित अनुदान को पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में आवंटित किया जाना चाहिए। अंतिम आवंटन पीआरआई के तीनों स्तरों के भीतर अलग-अलग ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को किया जाना चाहिए।

10.86 राज्य-स्तरीय पारस्परिक आवंटन के लिए, हम 2026⁷ में अनुमानित ग्रामीण आबादी को 90 प्रतिशत और राज्य के कुल क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भार देते हैं। राज्य-वार पारस्परिक हिस्से वर्ष-वार अनुदान *अनुलग्नक 10.3* में दिये गए हैं।

⁷ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, जुलाई 2020

10.87 प्रत्येक राज्य के भीतर, सभी स्तरों के विधिवत गठित आरएलबी को अनुदान का वितरण सम्बंधित राज्य वित्त आयोग की नवीनतम स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए। एसएफसी की सिफारिशों के अभाव में, आरएलबी के विभिन्न स्तरों को वितरण तालिका 10.6 में अनुशंसित प्रतिशत के अनुरूप किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों के बड़े हिस्से को नागरिक सेवाओं के वितरण के संबंध में उनकी अधिक भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया गया है।

तालिका 10.6 एक राज्य के भीतर परस्पर-स्तरीय आरएलबी अनुदान की हिस्सेदारी

स्तरों की संख्या	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
तीन	80 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
दो	90 प्रतिशत	-	10 प्रतिशत
एक	100 प्रतिशत	-	-

10.88 आरएलबी के एक विशेष स्तर के भीतर अनुदान वितरण नवीनतम स्वीकृत एसएफसी सिफारिशों के अनुसार हो सकता है या, एसएफसी की सिफारिशों के अभाव में, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में हो सकता है। मूल अनुदान अनुशंसा अवधि के सभी पांच वर्षों के दौरान अर्जित होता है, आरएलबी निष्पादन अनुदान तीसरे से पांचवें वर्ष तक और राज्य निष्पादन अनुदान दूसरे से पांचवें वर्ष तक अर्जित होता है। मूल और निष्पादन घटकों के राज्य-वार हिस्से और मात्रा, जो 80:20 के अनुपात में विभाजित हैं, क्रमशः अनुलग्नक 10.5, 10.6 और 10.8 में दिए गए हैं। अनुदान के निष्पादन घटकों पर लागू शर्तों के बारे में आगे बताया गया है।

राज्यों और उसके अधीनस्थ स्तरों को यूएलबी अनुदान का आवंटन

10.89 यूएलबी अनुदान के मामले में, हमने पहले अनुदान के मूल और निष्पादन घटकों के राज्य-स्तरीय परस्परिक आवंटन पर विचार किया। हम विशेष अवसंरचना और शहरीकरण प्रीमियम अनुदानों के आवंटन पर बाद में विचार करेंगे। राज्यों के बीच मूल और निष्पादन घटकों के आवंटन के लिए, हम 2026 की शहरी आबादी को 90 प्रतिशत और स्वयं-स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर आधारित सूचकांक को 10 प्रतिशत का भारांक प्रदान करते हैं। इसके लिए, हम पहले प्रत्येक राज्य के भीतर सभी यूएलबी के लिए उपलब्ध तीन वर्षों, 2021-22 से 2023-24⁸ तक के लिए ओएसआर के योग का, उन्हीं तीन वर्षों के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से

⁸ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा cityfinance पोर्टल पर सोलहवें वित्त आयोग को उपलब्ध कराए गए आंकड़े

प्राप्त जीएसवीए के योग से अनुपात की गणना करते हैं⁹। इसके बाद हम यूएलबी अनुदान के 10 प्रतिशत के भीतर किसी राज्य का हिस्सा उनकी जनसंख्या को इस अनुपात से भारित कर, सभी राज्यों की उनके सम्बंधित ओएसआर-जीएसवीए अनुपात से भारित जनसंख्या के योग से विभाजित करके निर्धारित करते हैं। राज्यवार पारस्परिक हिस्से *अनुलग्नक 10.4* में हैं और प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट वर्ष-वार अनुदान, मूल और निष्पादन घटकों की मात्रा क्रमशः *अनुलग्नक 10.5, 10.7* और *10.9* में विस्तार से दी गई है। मूल घटक अनुशंसा अवधि के सभी पाँच वर्षों में और निष्पादन घटक दूसरे से पांचवें वर्ष तक अर्जित होता है।

10.90 प्रत्येक राज्य के भीतर, विधिवत गठित यूएलबी को अनुदान का वितरण सम्बंधित एसएफसी की नवीनतम स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जा सकेगा। एसएफसी की सिफारिशों के अभाव में, राज्य अनुदान का 90 प्रतिशत सभी यूएलबी की कुल जनसंख्या में यूएलबी के हिस्से के अनुसार और 10 प्रतिशत ओएसआर आधारित मानदंड के अनुसार आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

छूट प्राप्त क्षेत्रों की व्यवस्था

10.91 संविधान के भाग IX और भाग IX-क के दायरे से बाहर क्षेत्रों के संदर्भ में, हम इन क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी जनसंख्या की विकासात्मक आकांक्षाओं और आवश्यक सेवा वितरण आवश्यकताओं को समझते हैं। इन आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करने के लिए, हम इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के समान मानने की अनुशंसा करते हैं। यह 13वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप है। हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के संबंध में हमारी अनुशंसाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के लिए भी आवंटन करें।

अनुदान प्राप्त करने की शर्तें

प्रारम्भिक स्तर की शर्तें

10.92 संविधान के अनुरूप, हम तीन पात्रता शर्तों की अनुशंसा करते हैं जिन्हें किसी भी स्थानीय निकाय को अनुदान दिए जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। पहली, संविधान के भाग IX और भाग IX-क के अनुसार वह एक विधिवत गठित निकाय होना चाहिए।

10.93 दूसरी, वित्तीय वर्ष टी में, राज्य के सभी आरएलबी और यूएलबी के वित्तीय वर्ष टी-1 के अनंतिम खाते और वित्तीय वर्ष टी-2 के लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। चूंकि यह शर्त 15वें वित्त आयोग से जारी है, इसलिए यह अनुशंसा अवधि के पहले

⁹ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया।

वर्ष से ही लागू होगी। ऐसे मामलों में जहां स्थानीय निकायों का केवल एक भाग ही इस शर्त को पूरा करता है, राज्य को अनुदान इस शर्त को पूरा करने वाले स्थानीय निकायों के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, और यह शर्त आरएलबी और यूएलबी पर अलग से लागू होगी। यूएलबी के लेखापरीक्षित लेखों में कम से कम बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरण, आवश्यक अनुसूचियों के साथ नकदी प्रवाह विवरण शामिल होना चाहिए।

10.94 तीसरी पात्रता शर्त एसएफसी के गठन से सम्बंधित है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त करने हेतु एसएफसी का गठन और 31 मार्च 2024 तक राज्य विधानमंडल के समक्ष एक व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य शर्त बना दिया था। इस शर्त ने विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोगों के गठन और तत्पश्चात उनकी रिपोर्ट और सम्बंधित कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) को राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करने पर स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला। *अनुलग्नक 10.12* उन राज्यों की सूची दर्शाता है जिन्होंने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अपने एसएफसी का गठन किया।

10.95 राज्यों द्वारा एसएफसी का गठन करने और अपने एटीआर को राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत करने में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार करते हुए, हम 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित शर्तों को जारी रखने के इच्छुक हैं, हालांकि कुछ संशोधनों के साथ जिनका उद्देश्य राज्यों के प्रशासनिक ढांचे के भीतर समय पर एसएफसी गठन की संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सभी राज्य पिछले एसएफसी के गठन से 5 वर्ष की समाप्ति पर नए एसएफसी गठन के संवैधानिक प्रावधान का पालन करें। साथ ही एटीआर को एसएफसी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा में रखा जाना चाहिए।

स्थानीय निकाय निष्पादन घटक के लिए शर्तें

10.96 यूएलबी और आरएलबी अनुदान को मूल (80 प्रतिशत) एवं निष्पादन (20 प्रतिशत) घटकों में वर्गीकृत किया गया है। निष्पादन घटक को आगे दो समान भागों में विभाजित किया गया है- आरएलबी/यूएलबी निष्पादन अनुदान घटक तथा राज्य निष्पादन अनुदान। मूल घटक राज्यों को उन तीन आरंभिक-स्तर (पात्रता) शर्तों की पूर्ति पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किया गया है। हालांकि, प्रत्येक निष्पादन घटक के लिए, हम एक अर्हक शर्त की अनुशंसा करते हैं।

10.97 ग्राम पंचायतों के पास कराधान और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की आवश्यक शक्तियाँ हैं, और उनमें से कई पहले से ही ओएसआर में काफी राशि जुटा रही है। इसलिए वित्तीय वर्ष टी में आरएलबी अनुदान के आरएलबी निष्पादन घटक को प्राप्त करने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि ग्राम पंचायतें वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना

या 2025-26 के ओएसआर पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें, बशर्ते प्रति परिवार प्रति वर्ष न्यूनतम ₹1,200 की राशि संग्रहीत हो सके। हमने प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹1,200 की राशि पेयजल, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं के उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर गणना की है, जो वर्तमान में विभिन्न राज्यों में एकत्र की जा रही है। इस अनुशंसा का आशय यह नहीं कि ग्राम पंचायते प्रत्येक परिवार से ₹1,200 संग्रहीत करने लगे, बल्कि उनका सभी स्रोतों जिसमें किराए से आय, उपयोगिता शुल्क, और अन्य कई आय के साधन शामिल हैं, से प्राप्त कुल ओएसआर संचयी रूप से ₹1,200 प्रति परिवार प्रति वर्ष के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।

10.98 ब्लॉक पंचायतों के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि वे आरएलबी अनुदान के आरएलबी निष्पादन घटक के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके अधिकार क्षेत्र की कम से कम 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतें इसके लिए पात्र हों। जिला पंचायतों के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि वे वर्ष टी में आरएलबी निष्पादन घटक हेतु पात्र होने के लिए, वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 में ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना अथवा 2025-26 के ओएसआर पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें।

10.99 किसी यूएलबी के वर्ष टी में यूएलबी निष्पादन घटक अनुदान के लिए पात्र होने हेतु, हम अनुशंसा करते हैं कि वह वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.05 गुना या 2025-26 के ओएसआर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें। सभी राज्यों (अनुलग्नक 10.2) द्वारा रिपोर्ट किए गए यूएलबी ओएसआर आकड़ों के आधार पर, यह वृद्धि एक उचित लक्ष्य निर्धारित करती है।

राज्य निष्पादन घटक के लिए शर्तें

10.100 हमारे डेटा का विश्लेषण दर्शाता है कि राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को संसाधनों के अंतरण में अधिक असमानता है। कुछ राज्य स्थानीय निकायों को पर्याप्त अंतरण कर रहे हैं जबकि अन्य उन्हें सीमित वित्तपोषण ही उपलब्ध कराते हैं। हमने ऊपर इस बात पर बल दिया है कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्यों की है। संघ से होने वाले अंतरण, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर, राज्य की संचित निधियों को केवल पूरक करने के लिए ही होते हैं। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि वर्ष टी में आरएलबी एवं यूएलबी अनुदानों के राज्य निष्पादन घटकों की निर्मुक्ति इस शर्त पर निर्भर हो कि राज्य अपने संसाधनों से हमारे द्वारा अनुशंसित वर्ष टी-1 के मूल वित्त आयोग अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में वर्ष टी-1 में अंतरण करे, जिसकी शुरुआत दूसरे वर्ष से होगी। राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को सौंपे एवं साझा किए गए वैधानिक राजस्व को, इस शर्त के प्रयोजन के लिए, अंतरण की मात्रा निर्धारित करने में इन अंतरणों में शामिल किया जाएगा।

शर्त पूरी न होने की स्थिति में

10.101 यदि इस खंड में चर्चा की गई किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो किसी राज्य के स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदानों का असंवितरित हिस्सा निम्नलिखित कार्यप्रणाली (पद्धति) के अनुसार वितरित किया जाएगा।

- (i) किसी राज्य के स्थानीय निकाय निष्पादन घटक अनुदान के मामले में शर्त को पूरा करने में विफल रहने वाले स्थानीय निकायों का असंवितरित हिस्सा, उसी राज्य के निष्पादनकारी स्थानीय निकायों में वितरित किया जाएगा।
- (ii) किसी राज्य द्वारा शर्त को पूरा करने में विफल रहने के कारण राज्य निष्पादन घटक का असंवितरित हिस्सा, उपयुक्त राज्य स्तरीय पारस्परिक मानदंडों के अनुसार निष्पादनकारी राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। इसके बाद, प्रत्येक प्राप्तकर्ता राज्य अपने राज्य निष्पादन घटक अनुदान में इस राशि को जोड़ देगा।
- (iii) अनुदान के असंवितरित निष्पादन घटक का वितरण, राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के अंतर्गत स्थानीय निकायों के बीच, जैसा भी मामला हो, स्थानीय निकाय अनुदानों का वितरण ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

10.102 इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह पूरी प्रक्रिया ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग संचालित की जाएगी। प्रारम्भिक स्तर की शर्तें और निष्पादन शर्तें, उनके लागू होने के वर्ष सहित, *अनुलग्नक 10.10* में प्रस्तुत की गई हैं। प्रारम्भिक स्तर की शर्तों का मुख्य उद्देश्य पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा आरंभ किए गए सुधारों को बनाए रखना है, जबकि निष्पादन शर्तें स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्रित हैं कि राज्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें।

10.103 स्थानीय निकायों को प्रभावी स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में कार्य करने, वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने और अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण आवश्यक है। एक सुदृढ़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण निरंतर अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय निकायों की क्षमता को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करने में बहुत सहायक होगा। यह प्रणाली स्थानीय निकायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लक्षित प्रशिक्षण सामग्री के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य कर सकती है। ऐसी प्रणाली क्षेत्रीय और राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित सामग्री भी प्रदान कर सकती है तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा कर सकती है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ सहयोग द्वारा सामग्री को प्रत्येक क्षेत्र की चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित

करने हेतु अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण प्रासंगिक तथा व्यावहारिक दोनों हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय ऐसी प्रणाली की परिकल्पना और कार्यान्वयन की दिशा में कार्य कर सकते हैं ताकि स्थानीय निकायों के पदाधिकारी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

आबद्ध एवं अनाबद्ध घटक

10.104 स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रमुख सीएसएस योजनाओं ने पेयजल और स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरे देश में जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इन पहलों ने न केवल महत्वपूर्ण अवसंरचना स्थापित की है बल्कि व्यापक जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया है और उल्लेखनीय व्यवहार परिवर्तन किया है। इस प्रगति से वर्ष 2025 तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन सामने आए हैं और सरकार से निरंतर वित्तपोषण, जिसमें 15वें वित्त आयोग का आबद्ध घटक भी शामिल है, इसका मुख्य कारण है।

10.105 जेजेएम के अंतर्गत सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में से 81 प्रतिशत से अधिक घरों को नल के जल से जोड़ा गया है। अमृत योजना के अंतर्गत 4,649 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सामूहिक क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र और 4,429 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता, के साथ ही 1.49 करोड़ सीवर कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)- शहरी के अंतर्गत लगभग 64 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ कचरा संग्रहण में 2014-15 और 2024-25 के बीच 97 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अब पूरे देश में 93,600 वार्डों को कवर कर रहा है, जबकि अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014-15 में उत्पन्न अपशिष्ट के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 78 प्रतिशत हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)- ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण में उल्लेखनीय सफलता और स्वच्छता की ओर व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के आधार पर, वर्तमान ध्यान ओडीएफ प्लस गावों के निर्माण की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसमें न केवल ODF प्लस बनाए रखना शामिल है, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं स्थापित करना और ग्रामों के भीतर दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 6.5 लाख से अधिक ग्रामों में से 3.99 लाख से अधिक ग्रामों को ओडीएफ मॉडल ग्राम घोषित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि सतत सरकारी प्रयासों ने, सक्रिय नागरिक भागीदारी के साथ मिलकर, इन राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्यंत व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया है।

10.106 यह सामूहिक प्रगति भारत की अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और स्वच्छ जल और स्वच्छता पर सतत विकास लक्ष्य 6

(एसडीज़ी:6) को प्राप्त करने की अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करती है, साथ ही जलवायु-सहिष्णु भविष्य की ओर अग्रसर होती है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आबद्ध निधियों का उपयोग, दोनों ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए, पेयजल आपूर्ति की तुलना में स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक रहा है। यह एक ओर स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संघ तथा राज्य योजनाओं की बेहतर प्रगति को दर्शाता है और दूसरी ओर पेयजल में निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए अधिक संभावना को दर्शाता है।

10.107 इसलिए, हम सिफ़ारिश करते हैं कि मूल घटक का 50 प्रतिशत इन उद्देश्यों से जोड़ा जाए और शेष 50 प्रतिशत मूल घटक और सम्पूर्ण निष्पादन घटक को अनाबद्ध रखा जाए। आबद्ध घटक को 'स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/या 'जल प्रबंधन' की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। आबद्ध घटक के अंतर्गत, स्थानीय निकायों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें उपर्युक्त आबद्ध मदों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण व्यय भी शामिल है।

10.108 स्थानीय निकाय अनुदानों का अनाबद्ध घटक मूल घटक का 50 प्रतिशत होगा, जो कुल एलबी अनुदानों का 80 प्रतिशत है (40 प्रतिशत), तथा निष्पादन घटक का 100 प्रतिशत होगा, जो कुल एलबी अनुदानों का 20 प्रतिशत है (20 प्रतिशत) तथा दोनों निष्पादन शर्तों की पूर्ति के अधीन है। इस प्रकार मूल तथा निष्पादन अनुदानों के कुल का 60 प्रतिशत अनाबद्ध होगा। पिछले वित्त आयोग की तुलना में अनाबद्ध निधियों का उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ प्रतिशत स्थानीय निकायों को स्थानीय रूप से पहचानी गई आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा, और उनके उपयोग में निहित लचीलापन, वितरण और उपयोग दोनों को बढ़ाएगा। परामर्श के दौरान, विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनाबद्ध निधियों के अनुपात को बढ़ाने के महत्व पर बार-बार जोर दिया है।

10.109 हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि किसी भी स्थानीय निकाय को सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर अनाबद्ध आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए¹⁰। इसके अलावा अनाबद्ध अनुदानों का उपयोग वेतन या अन्य स्थापना संबंधी व्यय के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा आबद्ध तथा अनाबद्ध अनुदानों के अंतर्गत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रस्ताव पारित करेगी और ब्लॉक पंचायत और ज़िला पंचायत भी इसी तरह प्रस्ताव पारित कर गतिविधियां ले

¹⁰ इसमें सभी प्रकार की पक्की सतहें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसे बिटुमिन/ब्लैक-टॉप/डामर, सीमेंट कंक्रीट/कंक्रीट, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक फुटपाथ, बाजरी, मिट्टी आदि।

सकेगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों के अंतर्गत गतिविधियों को संबद्ध यूएलबी द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर किया जाना चाहिए।

10.110 हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि सेवा स्तर मानकों (एसएलबी), जिन्हें 15वें वित्त आयोग द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अनिवार्य किया गया था, को प्रकाशित करने की पद्धति जारी रखी जा सकती है तथा सभी यूएलबी तक बढ़ाई जा सकती है। शहरों द्वारा एसएलबी के लिए स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने और सेवा डेटा का एक विश्वसनीय डेटाबेस स्थापित करने के लिए सिस्टम में एक निश्चित स्तर का प्रमाणीकरण शुरू किया जा सकता है। सेवा डेटा के विश्वसनीय डेटाबेस का उपयोग यूएलबी द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्णय लेने, योजना बनाने और पहल करने में प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का प्रमाणीकरण संभवतः किसी तृतीय-पक्ष मूल्यांकन या ऑडिट के रूप में हो सकता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ऐसी सत्यापन प्रणाली विकसित करने में राज्य सरकारों, यूएलबी और सीएजी का सहयोग ले सकता है।

10.111 हमने पिछले आयोग द्वारा सुझाई गई शर्तों के राज्यों द्वारा अनुपालन और उसके बाद अनुदान जारी करने की व्यापक समीक्षा की। हमने पाया कि समान्यतः पूर्वोत्तर राज्यों को शर्तों का समय पर अनुपालन करने और परिणामस्वरूप, अनुदान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी होने के बाद, पंचायती राज मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को राज्यों को वर्तमान आयोग की सिफारिशों, प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों, अनुपालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संबन्धित मंत्रालय इस प्रक्रिया में पूर्वोत्तर राज्यों को जहां तक संभव हो, सक्रिय रूप से मदद करे और उनको हैंडहोल्ड भी करे।

शहरीकरण प्रीमियम

10.112 इस अध्याय में पूर्व के पैराग्राफ में, हमने सामान्य रूप से शहरीकरण और विशेष रूप से ग्रामीण-से-शहरी परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया है। हमने ग्रामीण - से - शहरी एक औपचारिक परिवर्तन नीति के पक्ष में भी तर्क दिया है, हालांकि जब परिनगरीय क्षेत्र निकटवर्ती नगरपालिका में शामिल किए जाते हैं तो मौजूदा स्थानीय शहरी निकाय को परिवर्तन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे तुरंत ही नव-समाहित क्षेत्र में अवसंरचना और सेवाओं के प्रावधान पर उसी स्तर पर काम करना शुरू करना होता है, जैसा कि नगरपालिका के मौजूदा क्षेत्रों में है। फिर भी, इस क्षेत्र से कर राजस्व जुटाने की औपचारिकताओं को शुरू करने में कुछ

समय लगता है। नगरपालिका के लिए परिवर्तन संबन्धित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का एकमात्र तरीका मौजूदा नगरपालिका क्षेत्रों के संसाधनों को नए सम्मिलित क्षेत्र में स्थानांतरित करके ही यह संभव होता है।

10.113 इस प्रारम्भिक चुनौती से निपटने के लिए, हम कम से कम एक लाख की मौजूदा आबादी के साथ निकटवर्ती बड़े यूएलबी में शहरी-उपक्षेत्र-गाँव के विलय के लिए प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त अनुदान की अनुशंसा करते हैं। हमने अनुशंसा अवधि के लिए शहरीकरण प्रीमियम की कुल राशि ₹10,000 करोड़ आँकी है, जिसे यूएलबी में शामिल किए जा रहे नए क्षेत्र की जनसंख्या (जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर) के आधार पर प्रति व्यक्ति ₹2,000 की एकमुश्त पात्रता राशि के रूप में वितरित किया जाएगा। ये अनुदान राज्यों को आवश्यक प्रशासनिक ढांचों की स्थापना में सहायता के लिए और मौजूदा यूएलबी के साथ विलय के माध्यम से ग्रामीण से शहरी स्थिति में परिवर्तित हो रहे शहरी उप क्षेत्रों में कुछ नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अनुदान का अंतिम लाभार्थी संबन्धित नगरीय निकाय होना चाहिए, जो इसका उपयोग नए शामिल किए गए क्षेत्रों में मूल ढांचे के उन्नयन या उनमें नागरिक सेवाओं के प्रावधान हेतु क्षमता के उन्नयन के लिए कर सकता है।

10.114 पहले, हमने एक पारदर्शी स्थायी ग्रामीण-से-शहरी परिवर्तन नीति के महत्व पर प्रकाश डाला है। हम शहरीकरण प्रीमियम अनुदान प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में ऐसी परिवर्तन नीति तैयार करने की अनुशंसा करते हैं। राज्य की ग्रामीण से शहरी परिवर्तन नीति के कुछ घटक इस प्रकार हो सकते हैं:

- (i) प्रत्येक जनगणना के बाद तथा उसके बाद कम से कम प्रत्येक 3 वर्ष के नियमित अंतराल पर अर्हक बस्तियों में से परिवर्तन बस्तियों की पहचान करना, जिसमें परिवर्तन के लिए अर्हक बस्तियों के कम से कम एक तिहाई को शामिल करने की शर्त शामिल हो।
- (ii) परिवर्तन क्षेत्रों की पहचान, मूल्यांकन और अधिसूचना हेतु विस्तृत प्रक्रिया।
- (iii) परिवर्तन योजना निम्नलिखित विषयों को समाहित कर सकती है (लगभग 3 वर्ष की अवधि की कार्ययोजना अनुसार):
 - (क) वित्त, स्टाफ, सेवा वितरण और मूल ढांचे पर प्रभाव का मूल्यांकन।
 - (ख) नागरिक सेवा वितरण और अवसंरचना के मानकों को कुछ न्यूनतम पूर्व-निर्धारित स्तरों तक बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता।
 - (ग) संपत्ति कर और उपभोक्ता शुल्क जैसे करों का चरणबद्ध अधिरोपण।
 - (घ) मास्टर प्लान और भूमि उपयोग परिवर्तन विनियमों पर प्रभाव।

- (ड) कार्यालय, परिसंपत्तियों, अभिलेखों और कर्मचारियों के संबंध में संस्थागत निरंतरता।
- (च) सार्वजनिक परामर्श और नागरिक संचार।
- (iv) राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों, जिला प्रशासन, पूर्ववर्ती आरएलबी और नवगठित यूएलबी के बीच भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, साथ ही एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र।

शहरी विकास केन्द्रों में अवसंरचना उन्नयन

10.115 पिछले अनुच्छेदों में आयोग ने आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण के महत्व पर जोर दिया है। भारत की शहरी जनसंख्या पिछले पचास वर्षों में चार गुना से भी अधिक बढ़ी है। इस प्रकार के तीव्र शहरीकरण के लिए भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना के तत्काल उन्नयन की आवश्यकता है। पूर्व में प्रवासी जनसंख्या 40 लाख या उससे अधिक आबादी वाले बड़े शहरों की ओर असमान रूप से बड़ी संख्या में आई है। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए, 40 लाख से कम आबादी वाले शहरों के उन्नयन में निवेश करने की आवश्यकता है। इस तरह के उन्नयन से देश में विकास के और अधिक केंद्र बनेंगे, जिससे 40 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों पर बोझ कम होगा। यह जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा और जीवन-यापन की लागत को कम रखेगा। उद्योग जगत को भी इन क्षेत्रों में स्थापना आकर्षक लग सकती है क्योंकि मध्यम आकार के शहरों में उन्हें बड़े शहरों की तुलना में कम वेतन देना होगा।

10.116 इन शहरों में अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था जो पुरानी होती है और जिसका रखरखाव खराब होता है सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जल निकासी के प्रति उदासीनता खराब अपशिष्ट जल प्रबंधन का कारण बनती है। जहां एक ओर स्वच्छता के निम्न स्तर के कारण इन शहरों में जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर यह सड़कों और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रणालियों जैसे अन्य मूल ढांचों को भी अपरिहार्य क्षति पहुंचा रहा है। जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट प्रभाव के साथ, शहरों में अनियमित आवृत्ती के साथ उच्च-तीव्रता वर्षा हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, जिसे मौजूदा जल निकास प्रणालियाँ संभाल नहीं पा रही हैं। इससे न केवल शहरी आबादी को असुविधा हो रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी पड़ रहा है। शहरों को एक जल निकासी मास्टर प्लान बनाने, उसमें निवेश करने और अपनी जल निकास प्रणालियों का रखरखाव करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन में विभिन्न वित्तीय स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से निर्णायक प्रभाव प्राप्त करने वाले व्यापक हस्तक्षेपों का एक दृष्टांत उदाहरण इंदौर शहर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण *बॉक्स 10.2* में दिया गया है।

बॉक्स 10.2 स्वच्छ इंदौर

इंदौर लगातार सात वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है और इसे भारत का पहला वाटर प्लस शहर और 7-स्टार रेटिंग वाला शहर होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले, इंदौर, अन्य भारतीय शहरी केन्द्रों की तरह, महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिनमें व्यापक कचरा संचय, आवारा पशुओं, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, लगभग एक सदी का संचित कचरा, नदियों और नालों में अपशोधित सीवेज का व्यापक निर्वहन, और अपर्याप्त रूप से प्रबंधित सेकेन्डरी स्टोरेज बिन शामिल थे। इस अवस्था से स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी स्थिति तक के उल्लेखनीय परिवर्तन को कुछ व्यापक कार्यों के माध्यम से साकार किया गया, जो मूल रूप से जन भागीदारी या नागरिक सहभागिता पर केंद्रित था।

कुशल तरल अपशिष्ट प्रबंधन को, नदियों और वर्षा जल नालों में घरेलू और ग्रे वाटर सीवेज निर्वहन के व्यापक अवरोधन के माध्यम से, एक मजबूत सीवेज नेटवर्क की स्थापना के साथ प्राप्त किया गया। शहर ने सामुदायिक शौचालयों, एकल मूत्रालयों, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों आदि में वृद्धि के माध्यम से स्वच्छता सेवाओं की पहुँच का विस्तार किया। शहर में उत्पन्न अपशिष्ट जल को पर्याप्त रूप से संभालने के लिए 3 केंद्रीकृत और 7 विकेंद्रीकृत सह-अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से युक्त एक व्यापक सीवेज नेटवर्क का निर्माण किया गया। इन पहलों में सरस्वती नदी के साथ-साथ 200 किलोमीटर से अधिक लंबे नालों की सफाई और नालों को सामुदायिक स्थलों के रूप में पुनः विकसित करना भी शामिल था। उपचरित जल का पुनः उपयोग किया गया और एसटीपी से शोधित जल ले जाने के लिए 100+ किमी लंबी पाइप नेटवर्क बनाई गई।

इन उपलब्धियों को अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट मिशन जैसी योजनाओं से वित्त का उपयोग करने के साथ-साथ ओएसआर के उपयोग से बनाया गया। इसके अलावा, शहर ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने और कार्बन क्रेडिट के व्यापार सहित नवाचारी वित्तपोषण तंत्रों को भी अपनाया।

इन कार्यों को मुख्य रूप से व्यापक जागरूकता अभियानों, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली पहलों द्वारा और भी संपूरित किया गया। इन विविध पहलों और समन्वित वित्त पोषण प्रयासों के संयोजन ने इंदौर शहर के भीतर एक निर्णायक प्रभाव डाला है।

10.117 अतः हम सिफ़ारिश करते हैं कि चयनित यूएलबी के लिए विशेष अवसंरचना घटक को 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से कम लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के विकास के साथ जोड़ा जाए, जो दो प्रति राज्य तक सीमित है। हम इन शहरों की सूची *अनुलग्नक 10.11* में प्रदान कर रहे हैं। यह राशि 15 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ₹5,000 करोड़ तक की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, और 15 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में ₹3,500 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें परियोजना लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत होगी और शेष लागत का योगदान राज्य सरकार और संबंधित यूएलबी द्वारा किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत कुल राशि ₹56,100 करोड़ होगी।

10.118 इन परियोजनाओं से एक व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का विकास होना चाहिए और इन्हें निम्नलिखित सांकेतिक क्षेत्रों में लिया जा सकता है:

- (i) मौजूदा जल निकासी नेटवर्क का उन्नयन, जिसमें वर्षा जल और भूमिगत जल निकासी प्रणालियों का पृथक्करण शामिल है।
- (ii) नेटवर्क का अछूते क्षेत्रों तक विस्तार।
- (iii) समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य शुरू करना।
- (iv) अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आवश्यक प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का जीर्णोद्धार और हरित अवसंरचना का विकास।
- (v) गैर-राजस्व जल में कमी।
- (vi) निगरानी प्रणालियों और अपशिष्ट जल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने वाली प्रणालियों का विकास।

10.119 अनुशांसा अवधि के पहले वर्ष में, चयनित यूएलबी को आवंटित राशि के भीतर व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रयासों के प्रकार पर एक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। शहरी स्थानीय निकायों को वर्षवार लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन में परियोजना का विवरण, वर्षवार लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय शामिल होना चाहिए। अनुदान पहले वर्ष के लक्ष्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद और अगले लक्ष्य के लिए परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जारी किया जा सकेगा।

10.120 इस अनुदान के तहत अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, संबन्धित यूएलबी आवश्यक जागरूकता पहलों को जहां भी लागू हो सुनिश्चित कर सकते हैं। शहरों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए ताकि वे योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के भविष्य के संचालन और रखरखाव व्यय को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों से वहन कर सकें।

अनुदानों का समय पर जारी होना

10.121 हम सिफारिश करते हैं कि स्थानीय निकाय अनुदान प्रत्येक वर्ष, न्यूनतम दो समान किशतों में जारी किया जाएगा, जो मौजूदा पद्धति के अनुरूप होगा तथा आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

10.122 मूल घटक आरंभिक-स्तर की शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष प्रासंगिक नहीं होतीं, जैसे स्थानीय निकायों के गठन के लिए चुनाव कराना

या एसएफसी का गठन और उनकी रिपोर्टों पर एटीआर प्रस्तुत करना। निष्पादन घटक के लिए, राज्य को दोनों निष्पादन मानदंडों पर उपलब्धि का विवरण प्रदान करना होगा। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां राज्य के भीतर स्थानीय निकायों का एक समूह शर्तों को पूरा करता है, वहाँ उन्हें देय अनुदान बाकी की प्रतीक्षा किए बिना जारी कर दिए जाए। राज्य द्वारा शहरीकरण प्रीमियम घटक की निर्मुक्ति दावा तब किया जाना चाहिए जब विलय, जैसा कि पहले समझाया गया है, अधिसूचित किए जाएँ। समझौता जापन में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक शहर के लिए विशेष अवसंरचना घटक को अलग से जारी किया जाना चाहिए।

10.123 इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकारें इन अनुदानों को केंद्र सरकार से प्राप्त के दस कार्य दिवसों के भीतर अपने संबन्धित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। इस हस्तांतरण में निर्धारित कार्य दिवसों से अधिक की किसी भी देरी पर राज्य सरकारों को यह बाध्यकारी होगा कि वे निधियों को ब्याज सहित जारी करें, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बाजार ऋण/ राज्य विकास ऋणों पर लागू प्रभावी ब्याज दर पर गणना की जाएगी।

10.124 हम यह सिफारिश करते हैं कि इस अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के अलावा कोई अन्य शर्त केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा यूएलबी और आरएलबी को स्थानीय निकाय अनुदान जारी करने के लिए नहीं लगाई जानी चाहिए।

सिफारिशों का सारांश

- (i) हम सिफारिश करते हैं कि राज्यों को संपत्ति कर की कुशल गणना, आकलन और संग्रहण हेतु नागरिक-अनुकूल जीआईएस आधारित संपत्ति कर आईटी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
(पैराग्राफ 10.67)
- (ii) हम लेखे और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में यूएलबी का समर्थन करने हेतु शहरी डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का विस्तार करने की सिफारिश करते हैं।
(पैराग्राफ 10.71)
- (iii) राज्यों में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा और लेखांकन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखा जाना चाहिए और मजबूत किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को कौशल विकास में निवेश करके और जनशक्ति की कमी को दूर करके अपने स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभागों (एलएफएडी) की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए।
(पैराग्राफ 10.74)

- (iv) राज्यों को बजट में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए सभी हस्तांतरणों की पारदर्शी रूप से रिपोर्ट देनी चाहिए, जिनमें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की संचित निधि से प्राप्त हस्तांतरण, संघ प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग अनुदान और राज्य सरकार से प्राप्त अन्य अनुदान शामिल हों। इन हस्तांतरणों को, उनके सभी घटकों सहित, राज्य वित्त लेखा के परिशिष्ट III में भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
(पैराग्राफ 10.78)
- (v) अनुच्छेद 280(3)(खख) और 280(3)(ग) में, संविधान वित्त आयोग की आरएलबी और यूएलबी पर अपनी सिफारिशें 'राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर' करने का निर्देश देता है। हम सिफारिश करते हैं कि प्रासंगिक अनुच्छेदों से ऊपर उद्धृत प्रावधान को एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाए।
(पैराग्राफ 10.81)
- (vi) हम यह सिफारिश करते हैं कि नीति आयोग राज्यों में एसएफसी के कामकाज का अध्ययन कर सकता है और सभी राज्यों के संदर्भ के लिए एसएफसी की अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह प्रकाशित कर सकता है।
(पैराग्राफ 10.81)
- (vii) हम सिफारिश करते हैं कि आरएलबी के लिए अनुदानों को मूल और निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया जाए और यूएलबी के लिए अनुदानों को मूल, निष्पादन, शहरी अवसंरचना और शहरीकरण प्रीमियम घटकों में वर्गीकृत किया जाए। मूल और निष्पादन घटकों के लिए कुल राष्ट्रीय अनुदान आवंटन, दोनों को सिफारिश, आरएलबी और यूएलबी के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया है। परस्पर मूल और निष्पादन घटकों के बीच विभाजन दोनों आरएलबी और यूएलबी के लिए 80:20 के अनुपात में अनुशंसित है।
(पैराग्राफ 10.83 और 10.84)
- (viii) हमारी अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए विधिवत गठित आरएलबी और यूएलबी के लिए अनुदान के रूप में ₹7,91,493 करोड़ का कुल आवंटन अनुशंसित है।
(पैराग्राफ 10.84)
- (ix) आरएलबी के लिए, अंतर-राज्य वितरण क्रमशः अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या (2026) और क्षेत्रफल के 90:10 अनुपात पर आधारित है। यूएलबी के लिए, राज्यों का हिस्सा क्रमशः अनुमानित शहरी जनसंख्या (2026) और यूएलबी के ओएसआर के 90:10 अनुपात द्वारा निर्धारित किया गया है।
(पैराग्राफ 10.86 और 10.89)

- (x) प्रत्येक राज्य में, सभी स्तरों के विधिवत गठित आरएलबी और विधिवत गठित यूएलबी को अनुदानों का वितरण संबन्धित एसएफ़सी की नवीनतम स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार किया जा सकता है। एसएफ़सी की सिफारिशों के अभाव में, आरएलबी को स्तरवार वितरण निर्धारित प्रतिशतों के अनुरूप हो सकता है। आरएलबी के स्तर के भीतर वितरण, नवीनतम स्वीकृत एसएफ़सी सिफारिशों के अनुसार या एसएफ़सी की सिफारिशों के अभाव में, शहरी जनसंख्या और यूएलबी के ओएसआर के 90:10 अनुपात पर आधारित हो सकता है। यूएलबी के लिए, वितरण नवीनतम स्वीकृत एसएफ़सी की अनुशंसाओं के अनुसार किया जा सकता है या एसएफ़सी की सिफारिशों के अभाव में 90:10 अनुपात में शहरी जनसंख्या और यूएलबी के ओएसआर के आधार पर किया जा सकता है।
(पैराग्राफ 10.87, 10.88 और 10.90)
- (xi) संबन्धित राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के संबंध में आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप छूट प्राप्त क्षेत्रों के लिए आवंटन करना होगा।
(पैराग्राफ 10.91)
- (xii) स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त करने के लिए संविधान के भाग IX और भाग IX-क के अनुसार एक विधिवत गठित निकाय होना आवश्यक है। यह आरंभिक स्तर की पहली शर्त होगी।
(पैराग्राफ 10.92)
- (xiii) किसी राज्य के सभी यूएलबी और आरएलबी के लिए वित्तीय वर्ष टी-2 के लिए लेखापरीक्षित लेखे और वर्ष टी-1 के लिए अनंतिम लेखे की सार्वजनिक डोमेन में वर्ष टी में ऑनलाइन उपलब्धता वर्ष टी के लिए स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त करने की दूसरी आरंभिक स्तर की शर्त होगी।
(पैराग्राफ 10.93)
- (xiv) सभी राज्यों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य वित्त आयोगों के नियमित गठन से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा, अर्थात् पिछले एसएफ़सी के गठन के पाँच वर्ष पूरे होने पर नए एसएफ़सी का गठन और राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल में एटीआर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा, जो स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने की एक पूर्व शर्त है। यह अनुशंसा अवधि के पहले वर्ष, अर्थात् 2026-27 से स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने की तीसरी आरंभिक स्तर की शर्त होगी।
(पैराग्राफ 10.95)
- (xv) यूएलबी और आरएलबी अनुदान को मूल (80 प्रतिशत) और निष्पादन (20 प्रतिशत) घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें निष्पादन घटक को दो समान भागों में

विभाजित किया गया है: आरएलबी/यूएलबी निष्पादन घटक और राज्य निष्पादन घटक। मूल घटक राज्यों को तीन आरंभिक स्तर की (पात्रता) शर्तों को पूरा करने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

(पैराग्राफ 10.96)

- (xvi) ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष टी में आरएलबी अनुदान के आरएलबी निष्पादन घटक को प्राप्त करने के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि ग्राम पंचायतें वर्ष टी-1 में, अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना या 2025-26 के ओएसआर पर लागू 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें, बशर्ते कि प्रति परिवार प्रति वर्ष न्यूनतम राशि ₹1200 हो। यह अनुशंसा अवधि के तीसरे वर्ष, यानी 2028-29 से लागू होगा।

(पैराग्राफ 10.97)

- (xvii) ब्लॉक पंचायतों के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि वे आरएलबी अनुदान के आरएलबी निष्पादन घटक के लिए तभी योग्य होंगी जब उनके अधिकार क्षेत्र की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतें इसके लिए योग्य हों। जिला पंचायतों के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि अनुदान के लिए वर्ष टी में योग्य होने हेतु, जिला पंचायतें वर्ष टी-1 में, अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना या 2025-26 के ओएसआर पर लागू 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि जो भी कम हो, एकत्र करें। ये दोनों अनुशंसा अवधि के तीसरे वर्ष, यानी 2028-29 से लागू होंगे।

(पैराग्राफ 10.98)

- (xviii) यूएलबी को वर्ष टी में यूएलबी निष्पादन घटक अनुदान के लिए योग्य होने हेतु, हम सिफारिश करते हैं कि यह वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.05 गुना या 2025-26 के ओएसआर पर लागू 5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें। यह अनुशंसा अवधि के दूसरे वर्ष, यानी 2027-28 से लागू होगा।

(पैराग्राफ 10.99)

- (xix) हम सिफारिश करते हैं कि वर्ष टी में आरएलबी एवं यूएलबी अनुदानों के राज्य निष्पादन घटकों की निर्मुक्ति इस शर्त पर निर्भर हो कि राज्य हमारे द्वारा अनुशंसित वर्ष टी-1 के मूल वित्त आयोग अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक अपने संसाधनों से स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में वर्ष टी-1 में अंतरण करे, जिसकी शुरुआत दूसरे वर्ष से हो।

(पैराग्राफ 10.100)

- (xx) यदि निष्पादन की कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो किसी राज्य के स्थानीय निकाय के निष्पादन अनुदान के अवितरित हिस्से को निर्धारित पद्धति के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(पैराग्राफ 10.101)

- (xxi) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अवधारणबद्ध करने और उसे लागू करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं ताकि स्थानीय निकायों के पदाधिकारी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
(पैराग्राफ 10.103)
- (xxii) मूल घटक का 50 प्रतिशत आबद्ध होना चाहिए और शेष 50 प्रतिशत मूल घटक और सम्पूर्ण निष्पादन घटक अनाबद्ध रहना चाहिए। आबद्ध घटक को 'स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/या 'जल प्रबंधन' के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
(पैराग्राफ 10.107)
- (xxiii) हम यह भी सिफारिश करते हैं कि किसी भी स्थानीय निकाय को सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर अनाबद्ध आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अनाबद्ध अनुदानों का उपयोग वेतन या अन्य स्थापना संबंधी व्यय के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
(पैराग्राफ 10.109)
- (xxiv) सेवा स्तर मानकों को प्रकाशित करने की प्रथा जारी रखी जानी चाहिए और सभी यूएलबी तक बढ़ाई जानी चाहिए और साथ ही स्व-रिपोर्ट किए गए आकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रणाली में तृतीय पक्ष मूल्यांकन या लेखापरीक्षा तंत्र की शुरुआत की जानी चाहिए।
(पैराग्राफ 10.110)
- (xxv) पंचायती राज मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को राज्यों को आयोग की अनुशंसाओं, संचालन दिशानिर्देशों, अनुपालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा अनुदानों के दावे की प्रक्रिया से परिचित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
(पैराग्राफ 10.111)
- (xxvi) सम्पूर्ण अनुशंसा अवधि के लिए ग्रामीण-से-शहरी परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी प्रीमियम की कुल राशि ₹10,000 करोड़ होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति एकमुश्त पात्रता राशि ₹2,000 (जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर) होगी। शहरीकरण प्रीमियम घटक की राशि का दावा राज्य द्वारा तब किया जाना चाहिए जब शहरी-उपक्षेत्र-गावों का निकटवर्ती बड़े शहरी स्थानीय निकायों में विलय हो जाए जिनकी मौजूदा जनसंख्या एक लाख से कम न हो और जब उपयुक्त ग्रामीण से शहरी परिवर्तन नीति तैयार की गई हो।

(पैराग्राफ 10.113 और 10.114)

(xxvii) शहरी विकास केन्द्रों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में निर्णायक हस्तक्षेप के लिए ₹56,100 करोड़ के परिव्यय के साथ चयनित शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक विशेष अवसंरचना घटक जारी किया जाएगा।

(पैराग्राफ 10.117)

(xxviii) स्थानीय निकाय अनुदान प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दो समान किशतों में जारी किए जाते रहेंगे, जो मौजूदा पद्धति के अनुरूप और आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन होंगे।

(पैराग्राफ 10.121)

(xxix) केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां राज्य के भीतर स्थानीय निकायों का एक समूह शर्तों को पूरा करता है, वहाँ उन्हें देय अनुदान बाकी की प्रतीक्षा किए बिना जारी कर दिए जाए।

(पैराग्राफ 10.122)

(xxx) राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि इन अनुदानों को केंद्र सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर अपने-अपने स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। इस हस्तांतरण में निर्धारित दस कार्य दिवसों से अधिक की किसी भी देरी की स्थिति में राज्य सरकारें इन निधियों को प्रभावी ब्याज दर के साथ जारी करने के लिए बाध्य होंगी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर लागू ब्याज दर के अनुसार होगी।

(पैराग्राफ 10.123)

(xxxi) इस अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के अलावा, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा यूएलबी और आरएलबी को स्थानीय निकाय अनुदान जारी करने के लिए कोई अन्य शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 10.124)

□□□

आरएलबी द्वारा सृजित ओएसआर का विवरण (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	1,536.75	1,413.05	1,385.19	1,712.05	1,315.01
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	42.08	81.03	35.95	42.22	44.79
4	बिहार	53.50	53.50	53.11	52.45	55.39
5	छत्तीसगढ़	71.86	50.49	58.32	78.01	89.46
6	गोवा	53.18	52.24	67.91	85.26	96.60
7	गुजरात	348.61	325.38	363.87	347.90	435.70
8	हरियाणा	480.43	353.36	634.04	691.67	1,104.85
9	हिमाचल प्रदेश	124.66	154.94	141.27	163.71	157.18
10	कर्नाटक	1,891.00	2,106.08	3,156.80	2,415.74	2,792.42
11	केरल	816.71	821.43	1,674.10	1,831.82	2,330.09
12	मध्य प्रदेश	160.47	132.69	182.50	148.68	233.78
13	महाराष्ट्र	3,906.52	3,416.93	4,146.94	4,311.55	4,744.93
14	मणिपुर	0.39	0.51	0.24	0.18	0.08
15	ओडिशा	65.60	55.41	52.60	63.92	74.00
16	पंजाब	511.30	531.93	522.26	539.89	559.01
17	राजस्थान	99.54	109.50	120.44	132.49	145.74
18	सिक्किम	5.75	5.03	5.86	6.86	7.10
19	तमिलनाडु	855.74	1,152.64	1,396.31	1,520.67	1,195.81
20	तेलंगाना	487.19	481.09	546.52	521.65	514.91
21	त्रिपुरा	3.12	4.25	3.47	4.15	4.63
22	उत्तर प्रदेश	176.67	229.08	243.26	276.00	294.91
23	उत्तराखंड	41.63	37.96	151.15	57.96	56.17
24	पश्चिम बंगाल	1,503.68	987.12	1,138.06	1,104.68	1,029.48
कुल योग		13,236.37	12,555.64	16,080.17	16,109.50	17,282.01

स्रोत: 16वें वित्त आयोग के पोर्टल पर राज्यों द्वारा प्रदान किया गया डेटा (31 अगस्त 2025 तक)

नोट: झारखंड, मिजोरम और नागालैंड ने एनए (NA) और मेघालय ने केवल एडीसी ओएसआर प्रदान किया जिसे आरएलबी ओएसआर से बाहर रखा गया है।

अनुलग्नक 10.2

यूएलबी द्वारा सृजित ओएसआर का विवरण (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2,177.11	2,400.62	2,637.20	3,227.58	3,247.26
2	अरुणाचल प्रदेश	4.82	1.75	5.49	9.37	6.84
3	असम	205.11	218.67	245.07	348.83	378.68
4	बिहार	347.75	351.56	416.75	480.62	553.49
5	छत्तीसगढ़	477.16	513.03	607.09	701.58	641.30
6	गोवा	97.82	109.97	120.12	145.96	154.05
7	गुजरात	7,182.95	6,837.77	8,202.62	9,199.82	11,492.31
8	हरियाणा	1,045.01	1,061.04	1,415.29	1,443.10	1,841.08
9	हिमाचल प्रदेश	129.42	123.89	123.56	146.18	150.42
10	झारखंड	287.54	258.43	281.43	370.71	410.33
11	कर्नाटक	4,872.72	5,011.78	5,582.31	6,557.52	7,120.60
12	केरल	1,101.30	1,086.76	1,202.61	1,401.76	1,694.99
13	मध्य प्रदेश	2,940.22	3,020.48	3,434.11	3,650.58	3,811.49
14	महाराष्ट्र	31,117.63	28,190.46	49,187.85	39,131.25	44,190.21
15	मणिपुर	11.11	12.62	10.45	9.43	6.67
16	मेघालय	7.63	6.39	6.34	6.98	7.20
17	मिजोरम	7.21	5.96	6.40	10.15	11.57
18	नागालैंड	24.04	24.03	29.28	24.45	26.26
19	ओडिशा	373.31	445.19	500.84	628.76	601.67
20	पंजाब	1,190.63	1,238.19	1,408.51	1,657.42	1,704.62
21	राजस्थान	717.45	728.34	1,131.42	1,575.39	1,792.44
22	सिक्किम	14.24	11.05	13.29	17.78	18.64
23	तमिलनाडु	5,547.18	4,957.21	5,537.86	7,621.83	8,247.56
24	तेलंगाना	3,563.40	3,784.63	4,151.41	4,988.69	4,916.95
25	त्रिपुरा	45.82	54.49	65.44	48.86	59.91
26	उत्तर प्रदेश	2,207.06	2,328.68	2,528.49	3,000.86	3,387.42
27	उत्तराखंड	163.44	162.93	173.79	256.43	308.42
28	पश्चिम बंगाल	2,483.40	2,531.84	2,456.70	3,210.06	3,721.84
	कुल योग	68,342.48	65,477.75	91,481.73	89,871.94	1,00,504.21

स्रोत: 28 अगस्त 2025 तक 16वें वित्त आयोग द्वारा cityfinance पोर्टल के माध्यम से एकत्रित किया गया डेटा जो की 4,621 यूएलबी (कुल यूएलबी का 96 प्रतिशत) से सम्बंधित है।

आरएलबी अनुदानों में राज्यों का पारस्परिक हिस्सा

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल ('000 वर्ग किमी)	क्षेत्रफल हिस्सेदारी (10 प्रतिशत)	ग्रामीण जनसंख्या ('000 में)	ग्रामीण जनसंख्या हिस्सेदारी (90 प्रतिशत)	ग्रामीण पारस्परिक (प्रतिशत)
1	आंध्र प्रदेश	162.92	0.53	32,974	3.29	3.82
2	अरुणाचल प्रदेश	83.74	0.27	1,185	0.12	0.39
3	असम	78.44	0.26	30,987	3.09	3.35
4	बिहार	94.16	0.31	1,16,546	11.62	11.93
5	छत्तीसगढ़	135.19	0.44	22,516	2.24	2.68
6	गोवा	3.70	0.01	329	0.03	0.04
7	गुजरात	196.24	0.64	36,906	3.68	4.32
8	हरियाणा	44.21	0.15	17,577	1.75	1.90
9	हिमाचल प्रदेश	55.67	0.18	6,806	0.68	0.86
10	झारखंड	79.72	0.26	30,178	3.01	3.27
11	कर्नाटक	191.79	0.63	37,253	3.71	4.34
12	केरल	38.85	0.13	6,351	0.63	0.76
13	मध्य प्रदेश	308.25	1.01	63,685	6.35	7.36
14	महाराष्ट्र	307.71	1.01	65,537	6.53	7.54
15	मणिपुर	22.33	0.07	2,213	0.22	0.29
16	मेघालय	22.43	0.07	2,734	0.27	0.34
17	मिजोरम	21.08	0.07	563	0.06	0.13
18	नागालैंड	16.58	0.05	1,128	0.11	0.16
19	ओडिशा	155.71	0.51	38,064	3.79	4.30
20	पंजाब	50.36	0.17	17,861	1.78	1.95
21	राजस्थान	342.24	1.12	61,261	6.11	7.23
22	सिक्किम	7.10	0.02	310	0.03	0.05
23	तमिलनाडु	130.06	0.43	34,701	3.46	3.89
24	तेलंगाना	112.12	0.37	19,258	1.92	2.29
25	त्रिपुरा	10.49	0.03	2,427	0.24	0.27
26	उत्तर प्रदेश	240.93	0.79	1,84,063	18.34	19.13
27	उत्तराखंड	53.48	0.18	7,526	0.75	0.93
28	पश्चिम बंगाल	88.75	0.29	62,144	6.19	6.48
	कुल योग	3,054.25	10.00	9,03,083	90.00	100.00

स्रोत:

1. ग्रामीण जनसंख्या: जनसंख्या प्रक्षेपण 2026 (अक्टूबर) - जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, एमओएचएफडब्ल्यू (2020)
2. क्षेत्रफल: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुलग्नक 10.4

यूपलबी अनुदानों में राज्यों का पारस्परिक हिस्सा

क्र.सं.	राज्य	शहरी जनसंख्या ('000)	यूपलबी के कुल ओएसआर का योग (₹ करोड़)	3	द्वितीयक + तृतीयक जीएसवीए (₹ करोड़)	4	ओएसआर के योग और जीएसवीए के योग का अनुपात	5=3/4	ओएसआर अनुपात और शहरी जनसंख्या का गुणफल ('000)	6=5*2	शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी (90 प्रतिशत)	7	गुणफल ओएसआर अनुपात हिस्सेदारी (10 प्रतिशत)	8	शहरी पारस्परिक (प्रतिशत)	9=7*8
1	आंध्र प्रदेश	20,789	9,112	22,41,646	0.00406	84.40	3.84	0.3519	4.19	0.0005	0.08	0.0005	0.0295	1.12	3.16	0.0601
2	अरुणाचल प्रदेश	426	22	69,227	0.00031	7.08	1.09	0.0295	3.16	0.0769	1.72	0.0105	0.025	8.19	2.70	0.1300
3	असम	5,902	973	8,10,839	0.00120	14.40	3.10	0.0601	1.72	0.0198	0.24	0.0105	0.025	8.19	2.70	0.1300
4	बिहार	16,743	1,451	16,92,268	0.00086	18.45	6.96	1.2333	8.19	0.00786	6.96	1.2333	8.19	2.70	0.1300	0.15
5	छत्तीसगढ़	8,871	1,950	9,38,597	0.00208	2.52	2.57	0.1300	2.70	295.76	2.57	0.1300	0.0006	0.15	16.13	0.21
6	गोवा	1,274	420	2,12,398	0.00198	0.34	0.21	0.0014	0.21	31.17	0.15	0.0030	0.0006	0.15	16.13	0.21
7	गुजरात	37,629	28,895	36,74,151	0.00786	86.737	0.13	0.0006	0.13	0.72	0.15	0.0030	0.0006	0.15	16.13	0.21
8	हरियाणा	13,914	4,699	21,01,397	0.00224	8.88,133	2.04	0.00120	2.04	13.25	2.04	0.0553	0.0553	2.10	6.37	0.4656
9	हिमाचल प्रदेश	789	420	4,59,580	0.00091	55.04,895	5.90	0.00350	5.90	111.67	5.90	0.4656	0.4656	6.37	5.75	0.2158
10	झारखंड	11,043	1,062	8,88,133	0.00120	24.80,084	5.53	0.00173	5.53	51.75	5.53	0.2158	0.2158	6.37	5.75	0.2158
11	कर्नाटक	31,906	19,260	55,04,895	0.00350	19,44,724	4.90	0.00560	4.90	148.39	4.90	0.6188	0.6188	5.52	16.13	0.21
12	केरल	29,912	4,299	24,80,084	0.00173	83,49,127	11.88	0.01587	11.88	1,019.71	11.88	4.2521	4.2521	16.13	0.21	0.0014
13	मध्य प्रदेश	26,499	10,896	19,44,724	0.00560	86,737	0.21	0.00031	0.21	0.34	0.21	0.0014	0.0014	0.21	0.21	0.0006
14	महाराष्ट्र	64,254	1,32,509	83,49,127	0.01587	97,432	0.13	0.00021	0.13	0.15	0.13	0.0006	0.0006	0.13	0.13	0.0013
15	मणिपुर	1,111	27	86,737	0.00031	67,478	0.13	0.00042	0.13	0.30	0.13	0.0013	0.0013	0.13	0.13	0.0013
16	मेघालय	720	21	97,432	0.00021	76,465	0.22	0.00105	0.22	1.23	0.22	0.0051	0.0051	0.23	0.23	0.0051
17	मिजोरम	714	28	67,478	0.00042	13,61,752	1.70	0.00127	1.70	11.70	1.70	0.0488	0.0488	1.75	2.70	0.1932
18	नागालैंड	1,175	80	76,465	0.00105	13,95,528	2.51	0.00342	2.51	46.33	2.51	0.1932	0.1932	2.70	4.37	0.1625
19	ओडिशा	9,213	1,731	13,61,752	0.00127	26,25,291	4.21	0.00171	4.21	38.98	4.21	0.1625	0.1625	4.37	0.07	0.0008
20	पंजाब	13,547	4,771	13,95,528	0.00342	1,10,076	0.07	0.00045	0.07	0.18	0.07	0.0008	0.0008	0.07	0.07	0.0008
21	राजस्थान	22,796	4,499	26,25,291	0.00171	53,89,198	7.93	0.00397	7.93	170.34	7.93	0.7103	0.7103	8.64	3.98	0.3938
22	सिक्किम	401	50	1,10,076	0.00045	28,91,354	3.59	0.00486	3.59	94.45	3.59	0.3938	0.3938	3.98	0.35	0.0128
23	तमिलनाडु	42,908	21,407	53,89,198	0.00397	1,05,194	0.34	0.00166	0.34	3.07	0.34	0.0128	0.0128	0.35	11.56	0.4867
24	तेलंगाना	19,435	14,057	28,91,354	0.00486	45,73,548	11.07	0.00195	11.07	116.72	11.07	0.4867	0.4867	11.56	0.86	0.0194
25	त्रिपुरा	1,850	174	1,05,194	0.00166	7,15,777	0.84	0.00103	0.84	4.66	0.84	0.0194	0.0194	0.86	7.59	0.4600
26	उत्तर प्रदेश	59,858	8,917	45,73,548	0.00195	32,82,245	7.13	0.00286	7.13	110.31	7.13	0.4600	0.4600	7.59	100.00	10.00
27	उत्तराखण्ड	4,529	739	7,15,777	0.00103	5,41,45,139	90.00	0.07457	90.00	2,398.16	90.00	10.00	10.00	100.00		
28	पश्चिम बंगाल	38,570	9,389	32,82,245	0.00286											
	कुल योग	4,86,778	2,81,858	5,41,45,139	0.07457					2,398.16	90.00	10.00	10.00	100.00		

स्रोत: 1. शहरी जनसंख्या: जनसंख्या प्रक्षेपण 2026 (अक्टूबर) - जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, एमओएफएफडब्ल्यू (2020)
 2. ओएसआर डेटा: 28 अगस्त 2025 तक यूपलबी के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा Cityfinance.in से एकत्र किया गया डेटा जो की 4,621 यूपलबी (कुल यूपलबी का 96 प्रतिशत) से संबन्धित है।

3. जीएसवीए क्षेत्रवार डेटा: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जीएसवीए के तुलनीय अनुमान

नोट: 1. यूपलबी के कुल ओएसआर का योग: 2021-22 से 2023-24

2. द्वितीयक+ तृतीयक जीएसवीए: 2021-22 से 2023-24

अनुलग्नक 10.5

राज्य-वार और वर्ष-वार स्थानीय निकाय अनुदान (₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		कुल योग	
		आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी
1	आंध्र प्रदेश	2,136	1,562	2,724	2,250	3,521	2,497	3,908	2,772	4,338	3,077	16,627	12,158
2	अरुणाचल प्रदेश	218	30	278	43	360	48	399	53	443	59	1,698	233
3	असम	1,873	417	2,388	601	3,088	668	3,427	741	3,804	822	14,580	3,249
4	बिहार	6,670	1,178	8,506	1,697	10,995	1,883	12,205	2,091	13,547	2,320	51,923	9,169
5	छत्तीसगढ़	1,498	641	1,911	923	2,470	1,025	2,742	1,138	3,043	1,263	11,664	4,990
6	गोवा	22	93	29	134	37	149	41	166	45	184	174	726
7	गुजरात	2,415	3,053	3,080	4,398	3,982	4,881	4,419	5,418	4,906	6,014	18,802	23,764
8	हरियाणा	1,062	1,006	1,355	1,450	1,751	1,609	1,944	1,786	2,158	1,983	8,270	7,834
9	हिमाचल प्रदेश	481	56	613	81	793	89	880	99	977	110	3,744	435
10	झारखंड	1,828	783	2,331	1,127	3,014	1,252	3,345	1,389	3,713	1,542	14,231	6,093
11	कर्नाटक	2,427	2,374	3,094	3,420	4,000	3,797	4,440	4,214	4,928	4,678	18,889	18,483
12	केरल	425	2,143	542	3,087	701	3,427	777	3,804	863	4,222	3,308	16,683
13	मध्य प्रदेश	4,115	2,057	5,248	2,964	6,783	3,290	7,529	3,652	8,358	4,053	32,033	16,016
14	महाराष्ट्र	4,216	6,012	5,376	8,661	6,949	9,614	7,714	10,671	8,562	11,845	32,817	46,803
15	मणिपुर	162	78	207	113	267	125	297	139	329	154	1,262	609
16	मेघालय	190	49	242	70	313	77	348	86	386	95	1,479	377
17	मिजोरम	73	49	93	70	120	77	133	86	148	95	567	377
18	नागालैंड	90	86	114	123	147	137	164	152	182	169	697	667
19	ओडिशा	2,404	652	3,066	940	3,963	1,043	4,399	1,158	4,883	1,285	18,715	5,078
20	पंजाब	1,090	1,006	1,390	1,450	1,797	1,609	1,995	1,786	2,214	1,983	8,486	7,834
21	राजस्थान	4,042	1,629	5,155	2,346	6,664	2,605	7,396	2,891	8,210	3,209	31,467	12,680
22	सिक्किम	28	26	36	38	46	42	51	46	57	51	218	203
23	तमिलनाडु	2,175	3,220	2,773	4,639	3,585	5,149	3,980	5,716	4,417	6,345	16,930	25,069
24	तेलंगाना	1,280	1,483	1,633	2,137	2,111	2,372	2,343	2,633	2,601	2,923	9,968	11,548
25	त्रिपुरा	151	130	193	188	249	209	276	232	307	257	1,176	1,016
26	उत्तर प्रदेश	10,695	4,309	13,640	6,207	17,631	6,890	19,571	7,648	21,724	8,489	83,261	33,543
27	उत्तराखंड	520	321	663	462	857	513	951	569	1,056	632	4,047	2,497
28	पश्चिम बंगाल	3,623	2,829	4,620	4,075	5,972	4,524	6,629	5,021	7,359	5,574	28,203	22,023
	कुल योग	55,909	37,272	71,300	53,694	92,166	59,601	1,02,303	66,157	1,13,558	73,433	4,35,236	2,90,157

अनुलग्नक 10.6

आरएलबी- मूल और निष्पादन घटक (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		अनुशासा अवधि (2026-27 से 2030-31 तक) के लिए		
		मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	कुल मूल	कुल निष्पादन	कुल अनुदान आरएलबी
1	आंध्र प्रदेश	2,136	0	2,371	353	2,632	889	2,921	987	3,242	1,096	13,302	3,325	16,627
2	अरुणाचल प्रदेश	218	0	242	36	269	91	298	101	331	112	1358	340	1,698
3	असम	1,873	0	2,078	310	2,308	780	2,561	866	2,843	961	11,663	2,917	14,580
4	बिहार	6,670	0	7,404	1,102	8,218	2,777	9,122	3,083	10,125	3,422	41,539	10,384	51,923
5	छत्तीसगढ़	1,498	0	1,663	248	1,846	624	2,049	693	2,275	768	9,331	2,333	11,664
6	गोवा	22	0	25	4	28	9	31	10	34	11	140	34	174
7	गुजरात	2,415	0	2,681	399	2,976	1,006	3,303	1,116	3,667	1,239	15,042	3,760	18,802
8	हरियाणा	1,062	0	1,179	176	1,309	442	1,453	491	1,613	545	6,616	1,654	8,270
9	हिमाचल प्रदेश	481	0	534	79	593	200	658	222	730	247	2,996	748	3,744
10	झारखंड	1,828	0	2,029	302	2,253	761	2,500	845	2,775	938	11,385	2,846	14,231
11	कर्नाटक	2,427	0	2,693	401	2,990	1,010	3,318	1,122	3,683	1,245	15,111	3,778	18,889
12	केरल	425	0	472	70	524	177	581	196	645	218	2,647	661	3,308
13	मध्य प्रदेश	4,115	0	4,568	680	5,070	1,713	5,627	1,902	6,247	2,111	25,627	6,406	32,033
14	महाराष्ट्र	4,216	0	4,679	697	5,194	1,755	5,766	1,948	6,399	2,163	26,254	6,563	32,817
15	मणिपुर	162	0	180	27	199	68	222	75	246	83	1,009	253	1,262
16	मेघालय	190	0	211	31	234	79	260	88	288	98	1,183	296	1,479
17	मिजोरम	73	0	81	12	90	30	99	34	110	38	453	114	567
18	नागालैंड	90	0	99	15	110	37	122	42	136	46	557	140	697
19	ओडिशा	2,404	0	2,669	397	2,962	1,001	3,288	1,111	3,650	1,233	14,973	3,742	18,715
20	पंजाब	1,090	0	1,210	180	1,343	454	1,491	504	1,655	559	6,789	1,697	8,486
21	राजस्थान	4,042	0	4,487	668	4,980	1,684	5,528	1,868	6,136	2,074	25,173	6,294	31,467
22	सिक्किम	28	0	31	5	34	12	38	13	43	14	174	44	218
23	तमिलनाडु	2,175	0	2,414	359	2,679	906	2,975	1,005	3,301	1,116	13,544	3,386	16,930
24	तेलंगाना	1,280	0	1,421	212	1,578	533	1,751	592	1,944	657	7,974	1,994	9,968
25	त्रिपुरा	151	0	168	25	186	63	206	70	230	77	941	235	1,176
26	उत्तर प्रदेश	10,695	0	11,872	1,768	13,177	4,454	14,628	4,943	16,236	5,488	66,608	16,653	83,261
27	उत्तराखंड	520	0	577	86	640	217	711	240	789	267	3,237	810	4,047
28	पश्चिम बंगाल	3,623	0	4,021	599	4,463	1,509	4,955	1,674	5,500	1,859	22,562	5,641	28,203
	कुल योग	55,909	0	62,059	9,241	68,885	23,281	76,462	25,841	84,873	28,685	3,48,188	87,048	4,35,236

अनुलग्नक 10.7

यूएलबी- मूल और निष्पादन घटक (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		अनुशंसा अवधि (2026-27 से 2030-31 तक) के लिए		कुल अनुदान यूएलबी
		मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	कुल मूल	कुल निष्पादन	
1	आंध्र प्रदेश	1,562	0	1,734	516	1,924	573	2,136	636	2,371	706	9,727	2,431	12,158
2	अरुणाचल प्रदेश	30	0	33	10	37	11	41	12	45	14	186	47	233
3	असम	417	0	463	138	514	154	571	170	633	189	2,598	651	3,249
4	बिहार	1,178	0	1,307	390	1,451	432	1611	480	1,788	532	7,335	1,834	9,169
5	छत्तीसगढ़	641	0	711	212	790	235	877	261	973	290	3,992	998	4,990
6	गोवा	93	0	103	31	115	34	128	38	142	42	581	145	726
7	गुजरात	3,053	0	3,388	1,010	3,761	1,120	4,175	1,243	4,634	1,380	19,011	4,753	23,764
8	हरियाणा	1,006	0	1,117	333	1,240	369	1,376	410	1,528	455	6,267	1,567	7,834
9	हिमाचल प्रदेश	56	0	63	18	68	21	76	23	85	25	348	87	435
10	झारखंड	783	0	869	258	964	288	1,070	319	1,188	354	4,874	1,219	6,093
11	कर्नाटक	2,374	0	2,635	785	2,926	871	3,247	967	3,604	1,074	14,786	3,697	18,483
12	केरल	2,143	0	2,379	708	2,641	786	2,931	873	3,253	969	13,347	3,336	16,683
13	मध्य प्रदेश	2,057	0	2,284	680	2,535	755	2,814	838	3,123	930	12,813	3,203	16,016
14	महाराष्ट्र	6,012	0	6,673	1,988	7,408	2,206	8,222	2,449	9,127	2,718	37,442	9,361	46,803
15	मणिपुर	78	0	87	26	96	29	107	32	119	35	487	122	609
16	मेघालय	49	0	54	16	59	18	66	20	74	21	302	75	377
17	मिजोरम	49	0	54	16	59	18	66	20	74	21	302	75	377
18	नागालैंड	86	0	95	28	106	31	117	35	130	39	534	133	667
19	ओडिशा	652	0	724	216	804	239	892	266	990	295	4,062	1,016	5,078
20	पंजाब	1,006	0	1,117	333	1,240	369	1,376	410	1,528	455	6,267	1,567	7,834
21	राजस्थान	1,629	0	1,808	538	2,007	598	2,228	663	2,473	736	10,145	2,535	12,680
22	सिक्किम	26	0	29	9	32	10	36	10	39	12	162	41	203
23	तमिलनाडु	3,220	0	3,574	1,065	3,967	1,182	4,404	1,312	4,889	1,456	20,054	5,015	25,069
24	तेलंगाना	1,483	0	1,647	490	1,828	544	2,029	604	2,252	671	9,239	2,309	11,548
25	त्रिपुरा	130	0	145	43	161	48	179	53	198	59	813	203	1,016
26	उत्तर प्रदेश	4,309	0	4,783	1,424	5,309	1,581	5,893	1,755	6,541	1,948	26,835	6,708	33,543
27	उत्तराखंड	321	0	356	106	395	118	438	131	487	145	1,997	500	2,497
28	पश्चिम बंगाल	2,829	0	3,140	935	3,486	1,038	3,869	1,152	4,295	1,279	17,619	4,404	22,023
	कुल योग	37,272	0	41,372	12,322	45,923	13,678	50,975	15,182	56,583	16,850	2,32,125	58,032	2,90,157

अनुलग्नक 10.8

आरएलबी निष्पादन घटक (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		अनुशासक अवधि (2026-27 से 2030-31 तक) के लिए	
		आरएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	आरएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	आरएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	आरएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	आरएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	कुल आरएलबी निष्पादन घटक	कुल राज्य निष्पादन घटक
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	353.0	497.0	392.0	552.0	435.0	613.5	482.5	1,662.5	1,662.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	36.0	51.0	40.0	57.0	44.0	62.0	50.0	170.0	170.0
3	असम	0.0	0.0	0.0	310.0	436.0	344.0	485.0	381.0	537.5	423.5	1,458.5	1,458.5
4	बिहार	0.0	0.0	0.0	1,102.0	1,554.0	1,223.0	1,725.0	1,358.0	1,913.0	1,509.0	5,192.0	5,192.0
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	248.0	349.0	275.0	388.0	305.0	429.5	338.5	1,166.5	1,166.5
6	गोवा	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0	4.0	6.0	4.0	6.0	5.0	17.0	17.0
7	गुजरात	0.0	0.0	0.0	399.0	563.0	443.0	624.0	492.0	693.0	546.0	1,880.0	1,880.0
8	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	176.0	247.0	195.0	275.0	216.0	305.0	240.0	827.0	827.0
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	79.0	112.0	88.0	124.0	98.0	138.0	109.0	374.0	374.0
10	झारखंड	0.0	0.0	0.0	302.0	426.0	335.0	473.0	372.0	524.0	414.0	1,423.0	1,423.0
11	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	401.0	565.0	445.0	627.0	495.0	697.0	548.0	1,889.0	1,889.0
12	केरल	0.0	0.0	0.0	70.0	99.0	78.0	110.0	86.0	121.5	96.5	330.5	330.5
13	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.0	680.0	958.0	755.0	1,064.0	838.0	1,181.0	930.0	3,203.0	3,203.0
14	महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.0	697.0	982.0	773.0	1,090.0	858.0	1,209.5	953.5	3,281.5	3,281.5
15	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	27.0	38.0	30.0	42.0	33.0	46.5	36.5	126.5	126.5
16	मेघालय	0.0	0.0	0.0	31.0	44.0	35.0	49.0	39.0	55.0	43.0	148.0	148.0
17	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	12.0	17.0	13.0	19.0	15.0	21.0	17.0	57.0	57.0
18	नागालैंड	0.0	0.0	0.0	15.0	21.0	16.0	23.0	19.0	26.0	20.0	70.0	70.0
19	ओडिशा	0.0	0.0	0.0	397.0	560.0	441.0	621.0	490.0	690.0	543.0	1,871.0	1,871.0
20	पंजाब	0.0	0.0	0.0	180.0	254.0	200.0	282.0	222.0	312.5	246.5	848.5	848.5
21	राजस्थान	0.0	0.0	0.0	668.0	942.0	742.0	1,045.0	823.0	1,160.0	914.0	3,147.0	3,147.0
22	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	5.0	7.0	6.0	8.0	6.0	22.0	22.0
23	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	359.0	507.0	399.0	562.0	443.0	624.0	492.0	1,693.0	1,693.0
24	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	212.0	298.0	235.0	331.0	261.0	368.0	289.0	997.0	997.0
25	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	25.0	35.0	28.0	39.0	31.0	43.5	33.5	117.5	117.5
26	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	1,768.0	2,491.0	1,963.0	2,765.0	2,178.0	3,070.5	2,417.5	8,326.5	8,326.5
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	86.0	121.0	96.0	134.0	106.0	150.0	117.0	405.0	405.0
28	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	599.0	844.0	665.0	936.0	738.0	1,040.5	818.5	2,820.5	2,820.5
	कुल योग	0.0	0.0	0.0	9,241.0	13,023.0	10,258.0	14,455.0	11,386.0	16,046.0	12,639.0	43,524.0	43,524.0

अनुलग्नक 10.9

यूएलबी निष्पादन घटक (₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		अनुशंसा अर्वाधि (2026-27 से 2030-31 तक) के लिए	
		यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक	यूएलबी निष्पादन घटक	राज्य निष्पादन घटक
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	258.0	258.0	286.5	286.5	318.0	318.0	353.0	353.0	1,215.5	1,215.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	7.0	7.0	23.5	23.5
3	असम	0.0	0.0	69.0	69.0	77.0	77.0	85.0	85.0	94.5	94.5	325.5	325.5
4	बिहार	0.0	0.0	195.0	195.0	216.0	216.0	240.0	240.0	266.0	266.0	917.0	917.0
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	106.0	106.0	117.5	117.5	130.5	130.5	145.0	145.0	499.0	499.0
6	गोवा	0.0	0.0	15.5	15.5	17.0	17.0	19.0	19.0	21.0	21.0	72.5	72.5
7	गुजरात	0.0	0.0	505.0	505.0	560.0	560.0	621.5	621.5	690.0	690.0	2,376.5	2,376.5
8	हरियाणा	0.0	0.0	166.5	166.5	184.5	184.5	205.0	205.0	227.5	227.5	783.5	783.5
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	9.0	9.0	10.5	10.5	11.5	11.5	12.5	12.5	43.5	43.5
10	झारखंड	0.0	0.0	129.0	129.0	144.0	144.0	159.5	159.5	177.0	177.0	609.5	609.5
11	कर्नाटक	0.0	0.0	392.5	392.5	435.5	435.5	483.5	483.5	537.0	537.0	1,848.5	1,848.5
12	केरल	0.0	0.0	354.0	354.0	393.0	393.0	436.5	436.5	484.5	484.5	1,668.0	1,668.0
13	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	340.0	340.0	377.5	377.5	419.0	419.0	465.0	465.0	1,601.5	1,601.5
14	महाराष्ट्र	0.0	0.0	994.0	994.0	1,103.0	1,103.0	1,224.5	1,224.5	1,359.0	1,359.0	4,680.5	4,680.5
15	मणिपुर	0.0	0.0	13.0	13.0	14.5	14.5	16.0	16.0	17.5	17.5	61.0	61.0
16	मेघालय	0.0	0.0	8.0	8.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.5	10.5	37.5	37.5
17	मिजोरम	0.0	0.0	8.0	8.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.5	10.5	37.5	37.5
18	नागालैंड	0.0	0.0	14.0	14.0	15.5	15.5	17.5	17.5	19.5	19.5	66.5	66.5
19	ओडिशा	0.0	0.0	108.0	108.0	119.5	119.5	133.0	133.0	147.5	147.5	508.0	508.0
20	पंजाब	0.0	0.0	166.5	166.5	184.5	184.5	205.0	205.0	227.5	227.5	783.5	783.5
21	राजस्थान	0.0	0.0	269.0	269.0	299.0	299.0	331.5	331.5	368.0	368.0	1,267.5	1,267.5
22	सिक्किम	0.0	0.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	20.5	20.5
23	तमिलनाडु	0.0	0.0	532.5	532.5	591.0	591.0	656.0	656.0	728.0	728.0	2,507.5	2,507.5
24	तेलंगाना	0.0	0.0	245.0	245.0	272.0	272.0	302.0	302.0	335.5	335.5	1,154.5	1,154.5
25	त्रिपुरा	0.0	0.0	21.5	21.5	24.0	24.0	26.5	26.5	29.5	29.5	101.5	101.5
26	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	712.0	712.0	790.5	790.5	877.5	877.5	974.0	974.0	3,354.0	3,354.0
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	53.0	53.0	59.0	59.0	65.5	65.5	72.5	72.5	250.0	250.0
28	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	467.5	467.5	519.0	519.0	576.0	576.0	639.5	639.5	2,202.0	2,202.0
	कुल योग	0.0	0.0	6,161.0	6,161.0	6,839.0	6,839.0	7,591.0	7,591.0	8,425.0	8,425.0	29,016.0	29,016.0

मूल और निष्पादन अनुदान की शर्तें

प्रवेश स्तर की शर्तें	लागू होगा	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
विधिवत निर्वाचित स्थानीय निकाय	राज्य सरकार					
(टी-2) वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित खातों और (टी-1) वित्तीय वर्ष के अनंतिम खातों की ऑनलाइन सार्वजनिक उपलब्धता टी वर्ष के एलबी अनुदान प्राप्त करने हेतु	स्थानीय निकाय					
एसएफसी का गठन करना, राज्य सरकार को एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर एसएफसी रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को प्रस्तुत करना	राज्य सरकार					
निष्पादन शर्तें	लागू होगा	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
राज्यों को केंद्रीय वित्त आयोग के मूल अनुदानों का न्यूनतम 20 प्रतिशत समतुल्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना होगा	राज्य सरकार					
ओएसआर में वार्षिक वृद्धि कम से कम 5 प्रतिशत होगी	शहरी स्थानीय निकाय					
ग्राम पंचायतों के लिए ओएसआर में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि, जो न्यूनतम ओएसआर स्लैब से अधिक हो, बीपी के लिए 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन मानदंड को पूरा किया जाना और डीपी के लिए 2.5 प्रतिशत की ओएसआर में वृद्धि	ग्रामीण स्थानीय निकाय					

विशेष अवसंरचना घटक: पात्र शहर

शहर	राज्य	जनसंख्या (जनगणना 2011)
पुणे	महाराष्ट्र	31,24,458
जयपुर	राजस्थान	30,46,163
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	28,17,105
कानपुर	उत्तर प्रदेश	27,65,348
नागपुर	महाराष्ट्र	24,05,665
इंदौर	मध्य प्रदेश	19,64,086
भोपाल	मध्य प्रदेश	17,98,218
विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	17,28,128
पटना	बिहार	16,84,222
वडोदरा	गुजरात	16,70,806
लुधियाना	पंजाब	16,18,879
फरीदाबाद	हरियाणा	14,14,050
राजकोट	गुजरात	12,86,678
धनबाद	झारखंड	11,62,472
अमृतसर	पंजाब	11,32,383
हावड़ा	पश्चिम बंगाल	10,77,075
रांची	झारखंड	10,73,427
कोयम्बतूर	तमिलनाडु	10,50,721
विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10,34,358
जोधपुर	राजस्थान	10,33,756
मदुरै	तमिलनाडु	10,17,865
रायपुर	छत्तीसगढ़	10,10,433

अनुलग्नक 10.12

**राज्यों की सूची जिन्होंने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अपने
एसएफसी का गठन किया**

राज्य	एसएफसी का गठन कब किया गया
आंध्र प्रदेश (पांचवा एसएफसी)	मार्च, 2023
अरुणाचल प्रदेश (तीसरा एसएफसी)	दिसंबर, 2024
असम (सातवा एसएफसी)	जुलाई, 2024
छत्तीसगढ़ (चतुर्थ एसएफसी)	जुलाई, 2021
गुजरात (चतुर्थ एसएफसी)	नवंबर, 2024
हिमाचल प्रदेश (सातवा एसएफसी)	मार्च, 2024
झारखंड (पांचवा एसएफसी)	जनवरी, 2024
कर्नाटक (पांचवा एसएफसी)	अक्टूबर, 2023
केरल (सातवा एसएफसी)	सितंबर, 2024
महाराष्ट्र (छठा एसएफसी)	अप्रैल, 2025
मिजोरम (दूसरा एसएफसी)	अप्रैल, 2021
नागालैंड (चतुर्थ एसएफसी)	अक्टूबर, 2024
ओडिशा (छठा एसएफसी)	जनवरी, 2025
राजस्थान (छठा एसएफसी)	अप्रैल, 2021
सिक्किम (छठा एसएफसी)	जून, 2022
तेलंगाना (दूसरा एसएफसी)	फरवरी, 2024
उत्तर प्रदेश (छठा एसएफसी)	जनवरी, 2024
उत्तराखंड (छठा एसएफसी)	जनवरी, 2025
पश्चिम बंगाल (छठा एसएफसी)	दिसंबर, 2024

स्रोत: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा विभिन्न एसएफसी रिपोर्टों का संकलन (अप्रैल 2025)